SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 6 - 2024
(निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण
पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 6 - 2024

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		vii
2.	कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय-1: परिचय			
3.	संगठनात्मक ढाँचा	1.1	2
4.	लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.2	3
5.	लेखापरीक्षा मानदण्ड	1.3	4
6.	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	1.4	4
7.	बाधाएं/सीमाएं	1.5	5
8.	प्रतिवेदन की संरचना	1.6	5
अध्याय-2: निर्माण कार्य अधिष्ठानों एवं कर्मकारों का पंजीकरण			
9.	निर्माण कार्य अधिष्ठानों का पंजीकरण	2.1	7
10.	निर्माण कार्य अधिष्ठानों का कम पंजीकरण	2.1.1	7
11.	निर्माण कार्य अधिष्ठानों के पंजीकरण में विलम्ब	2.1.2	9
12.	निर्माण कार्य अधिष्ठानों का पंजीकरण न होने के कारण राजस्व की हानि	2.1.3	10
13.	निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण	2.2	10
14.	अपात्र लाभार्थियों को सम्मिलित करना	2.2.1	10
15.	वास्तविक निर्माण कर्मकारों को बाहर रखा जाना	2.2.2	11
16.	प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की प्रणाली	2.2.3	12
17.	पंजीकरण सेवाएं	2.2.4	12
18.	लाभार्थियों के डेटाबेस की गुणवत्ता	2.2.5	13
19.	निष्कर्ष	2.3	13
20.	अनुशंसाएँ	2.4	13
अध्याय-3: उपकर संग्रहण, अंतरण एवं निर्धारण			
21.	उपकर संग्रहण	3.1	15
22.	उपकर का संग्रहण न किया जाना	3.1.1	15
23.	उपकर का कम संग्रहण	3.1.2	16
24.	नमूना जाँच किए गए प्रकरणों में उपकर का संग्रहण	3.1.3	16
25.	उपकर की कटौती न किया जाना	3.1.4	17

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ सं.
26.	उपकर की गणना हेतु व्यापक एवं अद्यतन दरें अपनाई नहीं गई	3.1.5	17
27.	विकास प्राधिकरणों द्वारा उपकर के हस्तांतरण में देरी	3.2	18
28.	उपकर निधि का व्यपवर्तन	3.3	19
29.	₹ 1.49 करोड़ की उपकर निधि का सरकारी राजस्व में व्यपवर्तन	3.3.1	19
30.	उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में ₹ 13.80 लाख के उपकर निधि का व्यपवर्तन	3.3.2	20
31.	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा ₹ 1.76 करोड़ के उपकर निधि का व्यपवर्तन	3.3.3	20
32.	उपकर निर्धारण	3.4	20
33.	निर्धारण अधिकारियों के रूप में कर्तव्यों के पालन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन न करना	3.4.1	20
34.	निर्धारण के बाद वसूली	3.4.2	21
35.	निर्माण पूर्ण होने के 05 से 10 वर्ष बाद निर्धारण	3.4.3	22
36.	त्रुटिपूर्ण एवं कम निर्धारण	3.4.4	22
37.	उपकर अभिलेखों का खराब रख-रखाव	3.5	24
38.	निष्कर्ष	3.6	25
39.	अनुशंसाएँ	3.7	26
अध्याय-4: स्वास्थ्य, सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन और निरीक्षण			
40.	निर्माण स्थल पर घटना का होना	4.1	27
41.	कार्यस्थल पर चोट और मृत्यु की स्थिति में घटनाओं की रिपोर्टिंग तथा वित्तीय सहायता का प्रावधान	4.1.1	27
42.	चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में विफलता	4.2	28
43.	निर्माण कार्य अधिष्ठान निरीक्षण	4.3	29
44.	निरीक्षण तंत्र	4.4	29
45.	निर्माण स्थल पर काम की दशाओं, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदण्डों के अनुपालन का अभाव	4.5	31
46.	निष्कर्ष	4.6	33
47.	अनुशंसाएँ	4.7	34

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ सं.
अध्याय-5: कल्याणकारी उपायों का कार्यान्वयन			
48.	योजनाओं पर व्यय का विवरण	5.1	35
49.	कल्याणकारी योजनाओं का त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन	5.2	36
50.	विवाह सहायता योजना	5.2.1	36
51.	₹ 7.19 करोड़ का अधिक भुगतान	5.2.1.1	37
52.	पात्रता सुनिश्चित किए बिना लाभ प्रदान किया जाना	5.2.1.2	37
53.	लाभ देने में विलम्ब	5.2.1.3	38
54.	मृत्योपरांत सहायता	5.2.2	38
55.	मातृत्व लाभ (प्रसूति योजना)	5.2.3	38
56.	साईकिल योजना	5.2.4	39
57.	टूलकिट योजना	5.2.5	40
58.	राशन किट योजना	5.2.6	41
59.	वृद्धावस्था पेंशन और विकलांगता पेंशन	5.2.7	43
60.	योजनाओं के कार्यान्वयन में अन्य मुद्दे	5.3	44
61.	भारत सरकार के आदेश के विरुद्ध घरेलू सामान प्रदान किया जाना	5.3.1	44
62.	प्रतिबंध के बाद भी वस्तुओं का वितरण	5.3.1.1	45
63.	डी बी टी ढाँचे का उपयोग किए बिना ₹ 240.82 करोड़ का योजना लाभ प्रदान किया जाना	5.3.2	45
64.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध लाभ	5.3.3	46
65.	निष्कर्ष	5.4	47
66.	अनुशंसाएँ	5.5	47
अध्याय-6: शासन एवं प्रबंधन सम्बन्धी प्रकरण			
67.	उपकर की प्राप्ति एवं व्यय	6.1	49
68.	बजट, लेखा और लेखापरीक्षा	6.2	50
69.	स्वीकृति के बिना बजट का व्यय	6.2.1	50
70.	लेखा-बही का अनुचित रख-रखाव	6.2.2	50
71.	वार्षिक लेखा	6.2.3	51
72.	लेखों की लेखापरीक्षा न कराया जाना	6.2.4	51
73.	सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई	6.2.5	52
74.	अनियमित व्यय	6.3	52

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ सं.
75.	भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) सर्वेक्षण पर ₹ 28.61 करोड़ का अनियमित व्यय	6.3.1	52
76.	पहचान पत्र पर व्यर्थ व्यय	6.3.2	53
77.	अधिनियम के उद्देश्य के विरुद्ध बनाए गए नियम	6.4	54
78.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के उद्देश्य के साथ नियमों की असंगति	6.4.1	54
79.	अधिनियम के साथ असंगत शासनादेश	6.4.2	55
80.	मानवशक्ति के सीमित संसाधन	6.5	55
81.	अप्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली	6.6	57
82.	गैर-कार्यात्मक समितियाँ	6.7	57
83.	अन्य प्रकरण	6.8	58
84.	कर्मकार सुविधा केंद्र पर अनियमित व्यय	6.8.1	58
85.	अनिवार्य भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन	6.9	60
86.	निष्कर्ष	6.10	62
87.	अनुशंसाएँ	6.11	62

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.1	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	1.1	65
1.2	अभिलेख जो इकाइयों द्वारा प्रस्तुत नही किए गए	1.5	66
2.1	लेखापरीक्षा द्वारा संचालित 19 अधिष्ठानों की संयुक्त निरीक्षण सूची	2.2.2, 2.2.3, 4.5	67
2.2	देहरादून एवं ऊधम सिंह नगर में वर्ष 2017-22 के दौरान पंजीकृत कर्मकारों के डेटा का विश्लेषण	2.2.5	69
3.1	शून्य आच्छादित क्षेत्रफल वाली स्वीकृत भवन योजनाओं का विवरण	3.1.1	71
3.2	नमूना जाँच किए गए अनुमोदित मानचित्रों की संवीक्षा का विवरण	3.1.3	72

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ सं.
3.3	उत्तराखण्ड शासनादेश (दिसम्बर 2016) के अनुसार उपकर की गणना के लिए प्लिंथ क्षेत्रफल दर का विवरण	3.1.5	73
3.4	सरकारी राजस्व में ₹ 1.49 करोड़ की व्यपवर्तित उपकर निधि का विवरण	3.3.1	74
6.1	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों का विवरण	6.5	75
6.2	निर्धारित अवधि में स्थापित न किए गए कर्मकार सुविधा केंद्रों का विवरण	6.8.1(v)	76

प्राक्कथन

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत उत्तराखण्ड में **"भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण"** की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी (मार्च 2017) लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सांपादित की गयी है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के संबंध में

यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य में 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम' और 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996' दोनों अधिनियमों के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उत्तराखण्ड में 2017-22 की अवधि के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण विषयक निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2022-23 के दौरान सम्पादित की गई है।

हमने यह प्रतिवेदन अब क्यों तैयार किया?

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार भारत में असंगठित श्रम के एक बड़े हिस्से के रूप में शामिल हैं। उनका काम अस्थायी प्रकृति का होता है, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध अस्थायी होता है और काम के घंटे अनिश्चित होते हैं। जीवन और अपंगता का जोखिम भी अंर्तनिहित है। परिस्थितियों के मद्देनजर, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 में अधिनियमित किया गया था। कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त धन की सुनिश्चितता हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 में उपकर का प्रावधान किया गया था।

इस संदर्भ में, हमने यह मूल्यांकन करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की कि क्या उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड और राज्य में इसकी कार्यदायी संस्था, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत भवन निर्माण कर्मकारों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन प्रभावी और कुशलतापूर्वक ढंग से कर रहें हैं।

इस लेखापरीक्षा में क्या सम्मिलित किया गया है?

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण के कार्यान्वयन की जाँच करने के लिए हमने श्रम विभाग के जिला कार्यालयों, जिन्हें अधिष्ठानों एवं श्रमिकों के पंजीकरण, उपकर के मूल्यांकन एवं संग्रह तथा अधिष्ठानों के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड जो प्रशासन, निधियों के निवेश, योजनाओं के निर्माण तथा लाभार्थियों को लाभ के वितरण के लिए जिम्मेदार है; उपकर कटौतीकर्ता जो स्रोत पर ही ठेकेदारों के चालू देयकों से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण

उपकर काटते हैं; तथा उपकर संग्रहकर्ता जो भवन योजनाओं को पारित करते समय उपकर एकत्र करते हैं, को भी शामिल किया गया है।

हमने क्या पाया है और हम क्या संस्तुति करते हैं?

हमने निर्माण कर्मकारों तथा निर्माणाधीन भवन के पंजीकरण, उपकर के संग्रहण और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में विसंगतियां पाई, जिनका विवरण निम्नवत है:

- अभिलेखों की समीक्षा और संयुक्त भौतिक सत्यापन करने पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्य अधिष्ठानों का पंजीकरण बड़े स्तर पर अपूर्ण था। राज्य में निर्माणाधीन गतिविधियों के नियमित निगरानी के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

(प्रस्तर 2.1)

- अभिलेखों की जाँच करने और संयुक्त भौतिक सत्यापन के साथ-साथ लाभार्थी सर्वेक्षण करने के पश्चात, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण अधूरा था तथा इसमें गलत निष्कासन तथा समावेशन की त्रुटियां थीं। बोर्ड द्वारा निर्माण कर्मकारों की पहचान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.2)

- कल्याणकारी उपायों हेतु निधियों में वृद्धि के लिए विभाग, उपकर के निर्धारण एवं संग्रहण के लिए एक व्यापक और अद्यतन विधि तैयार करने में विफल रहा।

(प्रस्तर 3.1.5)

- बोर्ड, राज्य में कार्यरत संस्थाओं के साथ उपकर का समाधान न होने के कारण, उपकर विवरण की आवधिक स्थिति प्रदान करने में विफल रहा।

(प्रस्तर 3.6)

- श्रम विभाग के जिला कार्यालयों ने निर्माण कर्मकारों की मजदूरी, काम की दशाओं, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण के संबंध में निर्माण स्थलों का निरीक्षण नहीं किया।

(प्रस्तर 4.2, 4.3 एवं 4.5)

- अधिक भुगतान, पात्रता सुनिश्चित किए बिना लाभ देना, लाभों के वितरण में देरी तथा प्रत्यक्ष लाभ भुगतान (डी बी टी) का उपयोग किए बिना लाभ देना, राज्य सरकार के अपेक्षित अनुमोदन के बिना वस्तुओं की अनियमित खरीद एवं वितरण आदि के कारण योजना का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था।

(प्रस्तर 5.2.1 से 5.2.6)

- बोर्ड ने, वृद्धावस्था पेंशन के संदर्भ में 10 वर्षों के पंजीकरण की पात्रता पूरी करने वाले और विकलांगता पेंशन के संदर्भ में दुर्घटना के कारण विकलांग, पंजीकृत लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार नहीं किया था। राज्य में कोई भी पंजीकृत कर्मकार इन दोनों पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं था।

(प्रस्तर 5.2.7)

- बोर्ड का वित्तीय प्रबंधन खराब था, क्योंकि इसने वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2021-22 के बीच अनुमानित प्राप्ति और व्यय दिखाते हुए अपना बजट तैयार एवं प्रस्तुत नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, बोर्ड ने सरकार की स्वीकृति के बिना उक्त अवधि के दौरान ₹ 607.09 करोड़ व्यय किए।

(प्रस्तर 6.2.1)

- बोर्ड के पास विभिन्न स्तरों के पदों एवं उनकी भर्ती के तरीके के लिए कोई संगठनात्मक संरचना नहीं थी। प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए श्रम विभाग के जिला कार्यालयों में कुल 42 से 54 *प्रतिशत* पद लगातार रिक्त थे। इसने निर्माण कार्य अधिष्ठानों के पंजीकरण, निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण तथा योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

(प्रस्तर 6.5)

अनुशंसाएँ

योजना के कार्यान्वयन में सुधार हेतु, राज्य सरकार निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार कर सकती है:

1. ***राज्य सरकार के पास सरकारी निर्माण कार्यों के पंजीकरण हेतु ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे पंजीकरण की पुष्टि के बाद ही अनुबंध अथवा ठेकेदार के पहले बिल का भुगतान किया जा सके। अनुपालन नहीं करने के मामलों में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।***
2. ***बोर्ड को शपथ पत्र / स्व-घोषणा के आधार पर कर्मकारों के पंजीकरण का सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए।***
3. ***बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके लाभार्थियों के डेटाबेस में प्रमाणित आधार संख्या और मान्य बैंक खाता संख्या शामिल है और सत्यता बनाए रखने के लिए इस डेटाबेस को समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए।***

4. *सरकार को निर्माण की लागत और उपकर को यथासंभव सही रूप से प्राप्त करने के लिए एक व्यापक और अद्यतन दर तैयार करनी चाहिए।*
5. *संबंधित अधिकारियों द्वारा बकाया उपकर की वसूली और एकत्रित उपकर का समय पर कल्याण बोर्ड को हस्तांतरण, उचित निगरानी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
6. *बोर्ड एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर सकता है, जिसके तहत उपकर की राशि सीधे विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के बैंक खातों में जमा की जाए और विकास प्राधिकरण द्वारा मासिक मिलान विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।*
7. *उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को निर्माण स्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग और जान-माल की हानि या चोट लगने की स्थिति में श्रमिकों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए।*
8. *श्रम विभाग को निर्माण स्थलों पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी और व्यापक निरीक्षण करना चाहिए साथ ही पर्याप्त और त्वरित अग्रिम कार्यवाही भी करनी चाहिये। अनुपालन नहीं होने पर नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।*
9. *बोर्ड को अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करके और डी बी टी का उपयोग करके मौजूदा आदेशों के अनुसार लाभ प्रदान करना चाहिए।*
10. *सरकार को स्वास्थ्य और जीवन बीमा की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पंजीकृत श्रमिकों का उचित कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए। अन्य विभागों की योजनाओं के साथ समन्वय/ एकीकरण की भी संभावना तलाशी जा सकती है।*
11. *बोर्ड को सूचना, शिक्षा और संचार (आई ई सी) गतिविधियों के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के बीच कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।*
12. *उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को अपने वार्षिक लेखे समय पर प्रस्तुत करने चाहिए और उनकी लेखापरीक्षा करवाना सुनिश्चित करना चाहिए।*

13. *पंजीकृत श्रमिकों को बोर्ड द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों में कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी वितरण की सुविधा के लिए, आधार से जुड़े बैंक खाते के साथ एकीकृत विशिष्ट पहचान संख्या होनी चाहिए।*
14. *सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जो अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं।*
15. *सरकार को बोर्ड के वित्तीय विवरणों का उचित मिलान सुनिश्चित करना चाहिए और बैंक और बोर्ड के बीच खाता लेनदेन के मिलान न होने के कारण वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।*

अध्याय-1

परिचय

अध्याय-1

परिचय

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम (बी ओ सी डब्ल्यू अधिनियम) 1996 में अस्तित्व में आया ताकि श्रमिकों के रोजगार, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक अन्य मामलों को विनियमित किया जा सके। अक्टूबर 2005 में, उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में निर्माण कर्मकारों हेतु कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया। बोर्ड ने वर्ष 2017-22 के बीच 17 कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया, हालांकि, मार्च 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत एक समग्र मॉडल योजना[1] तैयार की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, केवल पंजीकृत अधिष्ठानों में कार्यरत कर्मकार ही भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी लाभ के हकदार हैं।

प्रक्रिया चार्ट

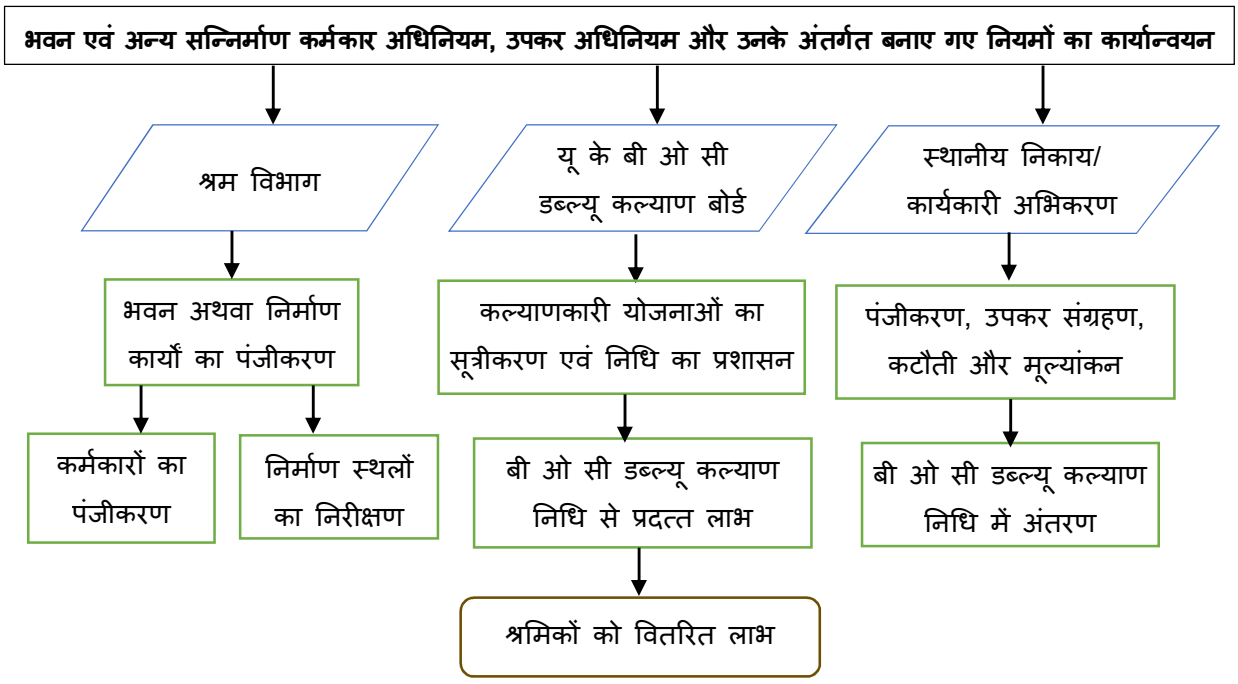

1 मॉडल योजना में, परिभाषित वित्तीय मानदंड और समय सीमा के साथ लाभ प्रदान करने के लिए, सात योजनाएं शामिल हैं। ये योजनाएं हैं - जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व कवर, शिक्षा, आवास, कौशल विकास, जागरूकता कार्यक्रम तथा पेंशन।

कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के प्रावधान के अनुसार नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर एक *प्रतिशत* उपकर लगाया जाता है। उपकर के संग्रहण के लिए दी गई छूट केवल व्यक्तिगत आवासीय घरों[2] के संबंध में है, जिनकी निर्माण लागत ₹ 10 लाख से अधिक नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक नियोक्ता[3] को निर्माण कार्य शुरू होने के 60 दिनों के भीतर निर्माण कार्य के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकारियों[4] के पास आवेदन करना होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक भवन कर्मकार जो पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों के लिए भवन एवं निर्माण कार्य में कार्यरत है और 18 से 59 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत आता है, कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ प्राप्त करने के लिए बोर्ड के साथ पंजीकरण के लिए पात्र है। एक बार पंजीकृत होने के बाद, एक भवन एवं निर्माण श्रमिक, 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक धनराशि, उपकर निधि में योगदान देगा। इसके अतिरिक्त, मॉडल कल्याण दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत श्रमिक, यदि वे बोर्ड में कम से कम 10 वर्षों से पंजीकृत हैं, पेंशन पाने के हकदार होगें।

1.1 संगठनात्मक ढाँचा

सचिव श्रम, विभाग का प्रशासनिक अधिकारी है, जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। प्रशासनिक विभाग की जिम्मेदारी है कि वह भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की गतिविधियों की निगरानी करे और यह सुनिश्चित करे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखों को अंतिम रूप दिया जाए और अपनाया जाए।

राज्य सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य होते हैं। बोर्ड, सचिव की नियुक्ति करता है जो बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। बोर्ड सचिव, बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक और

[2] वाणिज्यिक और सरकारी निर्माण कार्यों के लिए नहीं।

[3] निर्माण के दौरान किसी भी दिन 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देना।

[4] जैसा तालिका-1.1 में दर्शाया गया है।

वित्तीय शक्तियों का भी प्रयोग करता है। राज्य में बोर्ड के कामकाज से संबंधित संगठनात्मक ढाँचा ***परिशिष्ट-1.1*** में दिया गया है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, उपकर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए नामित प्राधिकारियों का विवरण **तालिका-1.1** में दिया गया है।

तालिका-1.1: नामित प्राधिकारियों का विवरण

प्राधिकारी	विभाग	प्राधिकारी के कार्य
उप श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त	श्रम विभाग	(i) लाभार्थियों तथा अधिष्ठानों का पंजीकरण (ii) निर्धारण अधिकारी (iii) लाभार्थियों के कल्याण तथा प्रदत्त लाभों के लिए उत्तरदायी (iv) उपकर संग्रहण प्राधिकारी (iv) निरीक्षण प्राधिकारी
सचिव, विकास प्राधिकरण	विकास प्राधिकरण	(i) उपकर संग्राहक (ii) उपकर निर्धारण प्राधिकारी
सहायक अभियंता	विकास प्राधिकरण	निर्माण कार्य अधिष्ठानों का पंजीकरण
अधिशासी अभियंता	कार्यकारी अभिकरण	उपकर कटौतीकर्ता
सहायक अभियंता	कार्यकारी अभिकरण	निर्माण कार्य अधिष्ठानों का पंजीकरण

1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का व्यापक उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

i. निर्माण कार्य अधिष्ठानों और लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए एक प्रभावी प्रणाली थी।

ii. सरकार ने श्रम उपकर की चोरी और नियोक्ताओं द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच के लिए एक पारदर्शी और प्रभावी निरीक्षण प्रणाली लागू की।

iii. उपकर का निर्धारण, संग्रहण, एकत्रित उपकर को निधि में जमा करने के साथ-साथ कल्याणकारी योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों का प्रशासन और उपयोग, अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कुशल और प्रभावी था।

iv. अधिनियम के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित नियम, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियमों के उद्देश्य के अनुरूप हैं।

1.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

उपर्युक्त लेखापरीक्षा उद्देश्यों के अनुसरण में विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए मानदण्ड का स्रोत, भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिनियम और नियम हैं। लेखापरीक्षा मानदण्ड का स्रोत था:

i. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996;

ii. उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2005;

iii. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 और उपकर नियम, 1998;

iv. उत्तराखण्ड वित्तीय नियम;

v. बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव;

vi. भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 जिसका शीर्षक 'निर्माण प्रबंधन, व्यवहार और सुरक्षा' है और

vii. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित निरीक्षण नीति।

1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा का आरंभ 12 अक्टूबर 2022 को सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड सरकार के साथ आयोजित एक प्रवेश गोष्ठी के साथ हुआ, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा मानदण्डों पर चर्चा की गई और विभाग के इनपुट प्राप्त किए गए। 13 जिलों में से देहरादून और ऊधम सिंह नगर[5] का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए किया गया। उप श्रम आयुक्त, देहरादून और सहायक श्रम आयुक्त, ऊधम सिंह नगर के अभिलेखों की जाँच की गई।

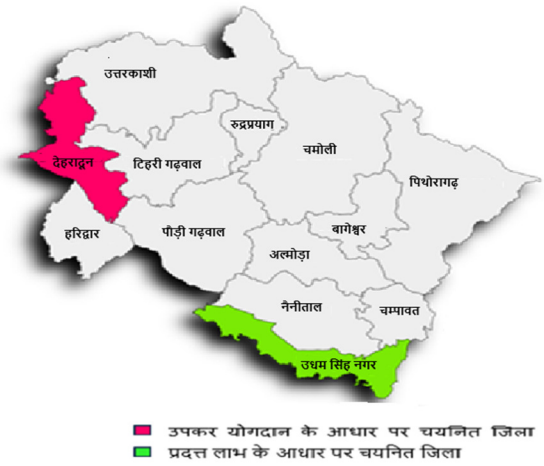

[5] उत्तराखण्ड राज्य में 13 जिले हैं जो दो क्षेत्रों में विभाजित हैं अर्थात गढ़वाल (सात जिले) और कुमाऊं (छह जिले)। 13 जिलों में से दो जिलों देहरादून और ऊधम सिंह नगर, का चयन किया गया था क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून का उपकर निधि में अधिकतम योगदान था और कुमाऊं क्षेत्र में ऊधम सिंह नगर ने कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम लाभ वितरित किए।

चयनित जिलों में चार[6] कार्यकारी अभिकरणों और दो[7] विकास प्राधिकरणों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। इसके अतिरिक्त कुल 10 कल्याणकारी योजनाओं का चयन भी स्तरीकृत रैंडम सेंपलिंग विधि से किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक आयोजित की गई थी, जिसमें वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पाँच वर्षों की अवधि शामिल थी।

कार्यप्रणाली में दस्तावेजों की जाँच, प्रश्नावली जारी करना एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों और देहरादून एवं ऊधम सिंह नगर में विभिन्न कार्य स्थलों का भौतिक निरीक्षण शामिल था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और संस्तुतियों पर 10 अक्टूबर 2023 को बहिर्गमन गोष्ठी में सचिव, श्रम विभाग के साथ चर्चा की गई और सरकार के विचारों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.5 बाधाएं/सीमाएं

विभिन्न प्राधिकरणों (बोर्ड, कार्यकारी अभिकरणों, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जैसा ***परिशिष्ट-1.2*** में विवरण दिया गया है) द्वारा अभिलेखों/ दस्तावेजों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा में बाधा उत्पन्न हुई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बोर्ड ने लेखापरीक्षा को अभिलेख/ दस्तावेज/ आंकड़े भी विलंब से प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त, बोर्ड/मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने लेखापरीक्षा प्रश्नों और टिप्पणियों पर विलंब से उत्तर दिए, आंशिक उत्तर प्रस्तुत किए अथवा उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

1.6 प्रतिवेदन की संरचना

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को पाँच विषयों में तैयार किया गया है: अधिष्ठानों और लाभार्थियों का पंजीकरण; उपकर संग्रहण, हस्तांतरण और निर्धारण; स्वास्थ्य तथा सुरक्षा उपायों और निरीक्षणों का अनुपालन; कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन और शासन एवं प्रबंधन मुद्दे।

---

[6] 1-अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, देहरादून, 2-अधिशासी अभियंता, अस्थायी खण्ड, ऋषिकेश, 3- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, खटीमा, 4-परियोजना प्रबंधक, निर्माण खण्ड, पेयजल संसाधन निगम, रुद्रपुर।

[7] मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून एवं जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर।

अध्याय-2

निर्माण कार्य अधिष्ठानों एवं कर्मकारों का पंजीकरण

अध्याय-2

निर्माण कार्य अधिष्ठानों एवं कर्मकारों का पंजीकरण

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार पंजीकरण, निर्माण कर्मकारों और उनके नियोक्ताओं दोनों को कई लाभ प्रदान करता है। कर्मकारों को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजनाओं और दुर्घटना मुआवजे सहित सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुँच मिलती है। नियोक्ता एक विधिक ढाँचे से लाभान्वित होते हैं जो कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, दुर्घटनाओं और कानूनी परिणामों के जोखिम को कम करता है। अध्याय में, भवन अथवा निर्माण कार्यों के पंजीकरण न होने के परिणामों जैसे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफलता, सरकार को राजस्व की हानि, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर की चोरी, लाभार्थियों का फर्जी पंजीकरण, वैध लाभार्थियों को लाभ/वित्तीय सहायता प्रदान करने में असमर्थता और सक्रिय लाभार्थियों के निगरानी की कमी, की चर्चा की गयी है।

2.1 निर्माण कार्य अधिष्ठानों का पंजीकरण

2.1.1 निर्माण कार्य अधिष्ठानों का कम पंजीकरण

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, निर्माण कार्य[1] करने वाला प्रत्येक नियोक्ता कार्य आरंभ होने के 60 दिनों के भीतर कार्य (अधिष्ठान) के पंजीकरण के लिए पंजीकरण अधिकारी को आवेदन करेगा।

चयनित जनपदों के नमूना जाँच इकाइयों में देखा गया कि 17,655 अधिष्ठानों/निर्माण कार्यों[2] में से मात्र एक कार्य वर्ष 2017-22 की अवधि में श्रम विभाग के साथ पंजीकृत था, जैसा **तालिका-2.1** में विवरण दिया गया है।

तालिका-2.1: नमूना परीक्षित की गई इकाइयों में निर्माण कार्य अधिष्ठानों का विवरण

क्र. सं.	नमूना परीक्षित इकाइयाँ	अधिष्ठानों/ निर्माण कार्यों[3] की संख्या	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण कार्यों की संख्या
1.	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	208	0
2.	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश, देहरादून	325	0

[1] जहाँ निर्माण कार्य के दौरान किसी भी दिन 10 या अधिक कर्मकार नियोजित हो।

[2] इसमें 901 सरकारी निर्माण कार्य और 16,754 गैर-सरकारी निर्माण कार्य सम्मिलित हैं।

[3] जिसकी अनुमानित लागत ₹ 10 लाख से अधिक है।

क्र. सं.	नमूना परीक्षित इकाइयाँ	अधिष्ठानों/ निर्माण कार्यों[3] की संख्या	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण कार्यों की संख्या
3.	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा, ऊधम सिंह नगर	215	0
4.	परियोजना प्रबंधक निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेय जल निगम, ऊधम सिंह नगर	153	0
5.	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून	15,104	1
6.	जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर	1,650	0
	कुल	**17,655**	**1**

स्रोत: कार्यदायी संस्था और विकास प्राधिकरण।

लेखापरीक्षा में निर्माण कार्य अधिष्ठानों के कम पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कारण पाए गए:

i. निर्माण कार्यों का पंजीकरण:

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी निर्माण कार्यों के पंजीकरण हेतु कार्यदायी संस्थाओं के सहायक अभियंताओं को पंजीयन अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया था (मई 2012)।

हालाँकि, उक्त सहायक अभियंता उनको सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहे क्योंकि नमूना परीक्षित किए गए कार्यदायी संस्थाओं में कोई भी अधिष्ठान/निर्माण कार्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य में कुल पंजीकृत 193 अधिष्ठानों में से केवल 37 (19 *प्रतिशत)* सरकारी परियोजनाएं थीं। इस ओर इंगित किए जाने पर संस्थाओं द्वारा अवगत कराया कि अभी यह प्रणाली प्रचलन में नहीं है, भविष्य में इसे सुनिश्चित किया जाएगा।

ii. पंजीकरण सुनिश्चित किए बिना विकास प्राधिकरणों द्वारा मानचित्र का अनुमोदन:

शासनादेश (दिसम्बर 2016) के अनुसार, श्रम विभाग द्वारा जारी अधिष्ठान की पंजीकरण रसीद, भवन योजना के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जानी थी। तथापि, नमूना परीक्षित किए गए विकास प्राधिकरणों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था।

जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर ने अपने उत्तर में बताया कि प्रभावी तंत्र की गैर-मौजूदगी के कारण रसीद नहीं ली गई थी और भविष्य में इसका अनुपालन किया जाएगा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

iii. जुर्माना अधिरोपित न किया जाना:

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 50 के अनुसार, जो कोई भी इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए ₹ एक हजार तक बढ़ सकता है।

लेखापरीक्षा में समीक्षा के दौरान पाया गया कि नियोक्ताओं ने श्रम विभाग के साथ अपने अधिष्ठानों को पंजीकृत न करके भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन किया। इस उल्लंघन के बावजूद, उन पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया गया था।

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) के दौरान सचिव, श्रम विभाग ने बताया कि मुख्य सचिव की ओर से कार्यदायी संस्थाओं, विकास प्राधिकरणों और अभियांत्रिकी विभाग के संबंधित उच्च प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। वे सरकारी निर्माण कार्यों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। बोर्ड ने अपने उत्तर (नवम्बर 2023) में बताया कि निर्माण कार्यों के पंजीकरण के लिए मजबूत तंत्र विकसित किया जा रहा है।

2.1.2 निर्माण कार्य अधिष्ठानों के पंजीकरण में विलम्ब

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली 2005 के नियम 24 के अनुसार, पंजीयन अधिकारी आवेदन प्राप्ति के पश्चात अधिष्ठान को पंजीकृत करेगा और आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आवेदक को पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

उत्तराखण्ड श्रम प्रबंधन सूचना तंत्र पोर्टल पर आंकड़ों की समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा में नमूना परीक्षित जनपदों के 41 निर्माण कार्य अधिष्ठानों में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

i. अट्ठारह निर्माण कार्य अधिष्ठान पंजीकरण के आवेदन की तिथि से 17 से 557 दिनों के बाद पंजीकृत किए गए थे।
ii. बीस पंजीकृत अधिष्ठानों[4] ने कार्य आरंभ होने के 63 दिनों से 1,746 दिनों के बाद पंजीकरण हेतु आवेदन किया, जबकि यह कार्य आरंभ होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर किया जाना था।
iii. जनपद देहरादून में 32 में से तीन अधिष्ठान आवेदन तिथि से पहले पंजीकृत हुए थे। यह इंगित करता है कि उत्तराखण्ड श्रम प्रबंधन सूचना तंत्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण पर प्रभावी जाँच/सत्यापन तंत्र नहीं था।

[4] देहरादून -17, ऊधम सिंह नगर -03 ।

iv. आवेदन तिथि[5] से लेखापरीक्षा तिथि तक पंजीकरण हेतु 28 आवेदन[6] लंबित थे। लेखापरीक्षा को उक्त अधिष्ठानों का पंजीकरण न होने का कोई कारण और/अथवा इस संबंध में कोई पत्राचार प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इस संदर्भ में, बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया (नवम्बर 2023) कि प्रभावी प्रक्रिया विकसित की जा रही है और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2.1.3 निर्माण कार्य अधिष्ठानों का पंजीकरण न होने के कारण राजस्व की हानि

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली, 2005 का नियम 27(1) नियुक्त किए जाने वाले/नियोजित निर्माण कर्मकारों की संख्या[7] के आधार पर अधिष्ठान के पंजीकरण हेतु भुगतान किए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करता है।

चयनित जनपदों में नमूना परीक्षित की गई इकाइयों में 17,654 अधिष्ठान पंजीकृत नहीं थे जैसा **तालिका- 2.1** में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड को न्यूनतम ₹ 88.27 लाख[8] की राजस्व हानि हुई।

इस ओर इंगित किए जाने पर, बोर्ड ने कहा (नवम्बर 2023) कि चूंकि निर्माण कार्यों के पंजीकरण की प्रणाली स्थापित की जा रही है, अतः इस संबंध में पंजीकरण के लिए शुल्क की प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी।

2.2 निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण

बोर्ड द्वारा संचालित उत्तराखण्ड श्रम प्रबंधन सूचना तंत्र पोर्टल डेटाबेस के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 3,66,352 निर्माण कर्मकारों को पंजीकृत किया गया था।

2.2.1 अपात्र लाभार्थियों को सम्मिलित करना

i.) सत्यापन के बिना शपथ पत्र के आधार पर पंजीकरण

विभिन्न दिशानिर्देशों/आदेशों[9] के अनुसार, बोर्ड निर्धारित प्रारूप में स्व-प्रमाणन/शपथ पत्र के आधार पर निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण की भी अनुमति दे सकता है। तथापि,

---

5 13 जुलाई 2017 और 21 नवम्बर 2021 के बीच।

6 देहरादून-10 और ऊधम सिंह नगर-18।

7 यदि श्रमिकों की संख्या एक सौ तक है: पाँच सौ रुपये; सौ से अधिक लेकिन पाँच सौ से अधिक नहीं: एक हजार पाँच सौ रुपये; पाँच सौ से अधिक: दो हजार पाँच सौ रुपये।

8 17,654 x ₹ 500 की गणना पंजीकरण के लिए न्यूनतम शुल्क (₹ 500) पर की गई है।

9 भारत सरकार द्वारा जारी भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारों के लिए मॉडल कल्याण योजना एवं कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्य योजना (2019) में कर्मकारों के पंजीकरण के बिंदु डी के अनुसार।

स्व-प्रमाणन में स्थलों, नियोक्ता और कर्मकार की पासबुक/आईडी में किए गए कार्य दिवसों की संख्या का पूरा विवरण होना चाहिए ताकि निर्माण कर्मकार की पात्रता का सत्यापन बाद की किसी तारीख/चरण में किया जा सके।

पंजीकृत कर्मकारों के 20 नमूना प्रकरणों[10] की समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त स्व-प्रमाणन/शपथ पत्र में उनके नियोक्ताओं एवं कार्य स्थलों के बारे में सूचना नहीं थी। तदनुसार, पंजीकृत कर्मकारों की पात्रता को बाद के चरण में सत्यापित करना मुश्किल था।

इस ओर इंगित किये जाने पर, उप श्रम आयुक्त, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि पंजीकरण, लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों पर आधारित था, जबकि सहायक श्रम आयुक्त, ऊधम सिंह नगर द्वारा अस्पष्ट उत्तर दिया गया। श्रम विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के उपर्युक्त उत्तर, शपथ पत्र आधारित पंजीकरण में जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन की कमी को उचित सिद्ध करने में विफल रहे।

ii.) पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के लाभार्थी सर्वेक्षण का परिणाम

लेखापरीक्षा ने बोर्ड में पंजीकृत 237 निर्माण कर्मकारों का संयुक्त लाभार्थी सर्वेक्षण किया, जिन्होंने बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया था। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 237 लाभार्थियों में से केवल 121 (51 *प्रतिशत)* निर्माण कर्मकार थे।

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में, सचिव, श्रम विभाग ने स्वीकार किया कि पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को शुरू में बोर्ड के साथ लाभार्थियों के रूप में नामांकित और सूचीबद्ध किया गया था। सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने भी अयोग्य लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें हटाने के लिए विशेष जाँच के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया।

2.2.2 वास्तविक निर्माण कर्मकारों को बाहर रखा जाना

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 19 निर्माण स्थलों का दौरा किया गया एवं 400 निर्माण कर्मकारों का लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया। परिणामस्वरूप, देहरादून और ऊधम सिंह नगर जनपदों में चयनित 19 निर्माण कार्यस्थलों में उपस्थित 400 कर्मकारों में से केवल 10 *प्रतिशत* ही कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत पाए गए ***(परिशिष्ट-2.1)***।

[10] प्रत्येक चयनित जनपद में 10 प्रकरण।

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) के दौरान, सचिव श्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वास्तविक निर्माण कर्मकारों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख निर्माण स्थलों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे।

2.2.3 प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की प्रणाली

भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रवासी कर्मकारों के पंजीकरण की सुविधा के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत गठित (मार्च 2018) समिति ने राज्यों को संस्तुति दी कि किसी कर्मकार की अधिवास/निवास स्थिति के कारण उसको अपने मूल राज्य के बाहर पंजीकृत होने से रोका नहीं जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मॉडल कल्याण योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्माण स्थलों के आस-पास जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है।

उन्नीस चयनित निर्माण कार्यस्थलों के संयुक्त निरीक्षण पर, कार्यस्थलों पर 54 *प्रतिशत* कर्मकार प्रदेश के बाहर के कर्मकार थे और पंजीकृत नहीं थे ***(परिशिष्ट-2.1)***।

सचिव श्रम विभाग ने बहिर्गमन गोष्ठी में कहा कि वास्तविक निर्माण कर्मकारों को शामिल करने के लिए बड़े निर्माण स्थलों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे।

2.2.4 पंजीकरण सेवाएं

बोर्ड द्वारा 2015 में निर्माण कर्मकारों के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा शुरू की गई थी। हालाँकि, पोर्टल के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि स्व-पंजीकरण की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तथापि कर्मकार को पंजीकरण के लिए जन सेवा केंद्र (सी एस सी) जाने का निर्देश दिया गया था। इस प्रकार, ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के अभाव में, कर्मकारों को दूरस्थ स्थानों से यात्रा करने, काम से समय निकालने एवं अपनी बारी के लिए एक बड़ी पंक्ति में प्रतीक्षा करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।

श्रम विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि कर्मकार सुविधा केन्द्र किसी भी प्रकार के अद्यतन और पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता था। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कर्मकारों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।

कर्मकार सुविधा केन्द्र के सामने खड़े आवेदक
(01 फरवरी 2023)

कार्यालय उप श्रम आयुक्त रुद्रपुर में लंबी पंक्ति
(01 फरवरी 2023)

2.2.5 लाभार्थियों के डेटाबेस की गुणवत्ता

उत्तराखण्ड श्रम प्रबंधन सूचना तंत्र पोर्टल डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधीन वर्ष 2017-22 के दौरान 3,66,352 कर्मकारों को लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत किया गया था और वह कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठा रहे थे। समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा डेटाबेस में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई, यथा बैंक खाता दर्ज नहीं था, एक ही मोबाइल नंबर से कई पंजीकरण, दोहरा पंजीकरण आदि (विवरण ***परिशिष्ट-2.2*** में उपलब्ध है)। इससे पता चलता है कि उत्तराखण्ड श्रम प्रबंधन सूचना तंत्र पोर्टल में दोहरे अभिलेखों की रोकथाम से बचने के साथ-साथ डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन नियंत्रण का अभाव था।

श्रम विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि यह लाभार्थी द्वारा दिए गए शपथ-पत्र के अनुसार किया गया था। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि यह अवलोकन लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र से संबंधित न होकर उत्तराखण्ड श्रम प्रबंधन सूचना तंत्र पोर्टल में आवश्यक नियंत्रणों की कमी से संबन्धित था।

2.3 निष्कर्ष

निर्माण कार्यों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में काफी कमियाँ थीं। इस अपर्याप्तता के कारण अपंजीकृत अधिष्ठानों से पंजीकरण शुल्क प्राप्त नहीं होने के कारण कम से कम ₹ 88.27 लाख की राजस्व हानि हुई। निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण त्रुटियों से भरा हुआ था, जिसमें कर्मकारों के गलत बहिष्करण और समावेशन भी शामिल थे। जो कर्मकार शपथ पत्र / स्व-घोषणा के आधार पर पंजीकृत किए गए, उनका सत्यापन नहीं किया गया था। अपात्र कर्मकारों के पंजीकरण और लाभार्थियों के डेटाबेस की खराब गुणवत्ता के प्रकरण भी पाए गए।

2.4 अनुशंसाएँ

निर्माण कार्य अधिष्ठान और लाभार्थियों के कुशल एवं प्रभावी पंजीकरण के लिए निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार किया जा सकता है:

1. ***राज्य सरकार को एक ऐसे तंत्र के माध्यम से सभी सरकारी निर्माण कार्यों का पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए, जिसके अंतर्गत प्रथम बिल का भुगतान या अनुबंध प्रदान करने का काम पंजीकरण की पुष्टि के बाद ही किया जाए। गैर-अनुपालन के मामलों में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए;***

2. ***बोर्ड को शपथ पत्र / स्व-घोषणा के आधार पर कर्मकारों के पंजीकरण का सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए;***
3. ***बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके लाभार्थियों के डेटाबेस मे प्रमाणित आधार संख्या और मान्य बैंक खाता संख्या शामिल हैं और सटीकता बनाए रखने के लिए इस डेटा बेस को समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए।***

अध्याय-3

उपकर संग्रहण, अंतरण एवं निर्धारण

अध्याय-3

उपकर संग्रहण, अंतरण एवं निर्धारण

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत गठित उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए नियोक्ताओं द्वारा व्यय की गई निर्माण लागत पर उपकर लगाने और एकत्र करने का प्रावधान करता है। इस अध्याय में उपकर का संग्रह न होना एवं कम संग्रहण, उपकर संग्रहण के लिए एक अव्यापक और पुराना सूत्र, उपकर के अंतरण में विलम्ब, निर्धारण की कमी और त्रुटिपूर्ण एवं कम निर्धारण जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

3.1 उपकर संग्रहण

3.1.1 उपकर का संग्रहण न किया जाना

उपकर नियम 1998 के नियम 4(4) के अनुसार, जहाँ निर्माण कार्य के लिए स्थानीय प्राधिकरण से स्वीकृति की आवश्यकता होती है, वहां ऐसे अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ देय उपकर की राशि के लिए बोर्ड के पक्ष में एक क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाएगा। शासनादेश (दिसम्बर 2016) के अनुसार, विकास प्राधिकरणों द्वारा आकलित उपकर, अग्रिम रूप से एकत्र किया जाना था।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की जाँच (अप्रैल 2017 से अगस्त 2019) में पाया गया कि 909 अनुमोदित भवन योजनाओं के संबंध में ₹ 13.73 करोड़ का उपकर संग्रहण नहीं किया गया था। नीचे दी गयी **तालिका-3.1** में विवरण दिया गया है।

तालिका-3.1: उपकर की वसूली न करने का विवरण

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	अनुमोदित भवन योजनाओं की संख्या	अनुमोदित आच्छादित क्षेत्रफल का योग (वर्ग मीटर में)	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को भुगतान किए गए श्रम उपकर की राशि	वर्तमान आदेशों के अनुसार देय उपकर
ले आउट योजना	11	23,574.80[1]	0	शासनादेश के अनुसार गणना योग्य नहीं
गैर-आवासीय	124	1,91,999.33	0	3.42
आवासीय	774	5,73,812.94	0	10.31
कुल योग	**909**	**7,89,387.07**	**0**	**13.73**

स्रोत: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ें।

[1] 11 में से तीन योजनाओं का योग।

उपकर की गणना भवन के आच्छादित क्षेत्रफल[2] से जुड़ी होती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 अनुमोदित भवन योजनाओं का आच्छादित क्षेत्रफल डेटाबेस में शून्य दर्ज किया गया था और तदनुसार इन भवन योजनाओं से कोई उपकर एकत्र नहीं किया गया था। हालांकि, इन भवनों का ग्राउंड कवरेज[3] भूमि क्षेत्रफल का 44.56 से 72.03 *प्रतिशत*[4] तक था, इसलिए, उनका आच्छादित क्षेत्रफल शून्य नहीं हो सकता था। विवरण ***परिशिष्ट-3.1*** में दिया गया है।

3.1.2 उपकर का कम संग्रहण

सितंबर 2019 से फरवरी 2023 की अवधि के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के आंकड़ों की समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने 15,381 अनुमोदित भवन योजनाओं के संबंध में ₹ 13.04 करोड़ की राशि के उपकर की कम वसूली पायी। विवरण **तालिका-3.2** में दिया गया है।

तालिका-3.2: अनुमोदित भवन योजनाओं के लिए कम वसूली का विवरण

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	भवन योजनाओं की संख्या	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को भुगतान किए गए श्रम उपकर की राशि	शासनादेश के अनुसार भुगतान किए जाने वाले उपकर की राशि	कम संग्रहण
मिश्रित उपयोग	119	3.03	3.30	0.27
गैर-आवासीय	1,510	25.89	31.16	5.27
आवासीय	13,752	48.63	56.13	7.50
कुल योग	**15,381**	**77.55**	**90.59**	**13.04**

स्रोत: मसूरी देहारादून विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ें।

इसे इंगित किए जाने पर, संबंधित प्राधिकरण (मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून) ने कोई उत्तर नहीं दिया। तथापि, बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में सचिव, श्रम विभाग ने आश्वासन दिया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ बैठक करने के बाद उत्तर शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

3.1.3 नमूना जाँच किए गए प्रकरणों में उपकर का संग्रहण

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून में नमूना जाँच किए गए दस प्रकरणों की जाँच में पाया गया कि भवन योजना ***(परिशिष्ट-3.2)*** के अनुमोदन के समय एक प्रकरण

---

[2] गैर-आवासीय हेतु = आच्छादित क्षेत्रफल x 177.90 और आवासीय हेतु = आच्छादित क्षेत्रफल x 179.70 ।

[3] ग्राउंड कवरेज क्षेत्र, भूतल स्तर पर अधिकतम स्वीकृत निर्माण क्षेत्र और भूखंड के कुल क्षेत्रफल का अनुपात है।

[4] ग्राउंड कवरेज *प्रतिशत* = (भूतल का अनुमोदित क्षेत्रफल) x 100/ (प्लॉट का क्षेत्रफल)।

में ₹ 119.89 लाख के उपकर की वसूली नहीं की गयी थी तथा अन्य प्रकरण में ₹ 48.60 लाख की उपकर राशि की कम वसूली हुई थी।

इसे इंगित किए जाने पर, संबंधित प्राधिकरण (मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून) ने कोई उत्तर नहीं दिया। तथापि, बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में सचिव, श्रम विभाग ने आश्वासन दिया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ बैठक करने के पश्चात उत्तर शीघ्र प्रस्तुत किये जायेगें।

3.1.4 उपकर की कटौती न किया जाना

उपकर नियमावली 1998 के नियम 4(3) के अनुसार, जहाँ उपकर का आरोपण सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित है, वहां ऐसी सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम ऐसे कार्यों के लिए भुगतान किए गए बिलों से अधिसूचित दरों पर देय उपकर की कटौती करेगा अथवा कटौती करवायेगा।

एक कार्यदायी संस्था (अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून) के अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त खण्ड ने निर्माण कार्यों के भुगतान किये गये बिलों में से ₹ 31.01 लाख की राशि के उपकर की कटौती नहीं की थी। इस संदर्भ में, अधिशासी अभियंता ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि कार्य के प्राक्कलन में उपकर का प्रावधान न होने के कारण उपकर की कटौती नहीं की गई थी। उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि उपकर कटौती हेतु वैधानिक प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया था।

3.1.5 उपकर की गणना हेतु व्यापक एवं अद्यतन दरें अपनाई नहीं गई

उत्तराखण्ड शासनादेश (दिसम्बर 2016) भवन की अनुमानित लागत की गणना हेतु एक पद्धति का प्रावधान करता है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्माण लागत के आकलन हेतु प्लिंथ क्षेत्रफल की दरों को समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाएगा।

उक्त शासनादेश के प्रावधानों की समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त आदेश में ***परिशिष्ट-3.3*** में दिए गए सभी प्रकार के भवनों को आच्छादित नहीं किया गया था। कुछ विशेष प्रकार के भवनों (कालेजों, चिकित्सालयों, स्कूलों, मॉल, इत्यादि) को शामिल न करने से उपकर की उचित राशि के संग्रहण पर प्रभाव पड़ेगा।

आगे, यह पाया गया कि निर्माण लागत में वृद्धि होने के बावजूद दिसम्बर 2016 के बाद भी आदेश को संशोधित नहीं किया गया था। उदाहरणार्थ, केंद्रीय लोक निर्माण

विभाग[5] ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 में प्लिंथ क्षेत्रफल दरों में संशोधन के माध्यम से निर्माण लागत को पुनरीक्षित किया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संशोधित प्लिंथ दरों का संज्ञान न लेने और पूर्व में उल्लिखित शासनादेश में संशोधन न होने के कारण, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून और जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर ने वर्ष 2016 के शासनादेश के अनुसार प्लिंथ दरों का उपयोग जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.77 करोड़ की राशि का उपकर कम आरोपित किया गया।

तालिका-3.3: उत्तराखण्ड शासनादेश और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मध्य दरों में अंतर का विवरण

वर्ष	शासनादेश (दिसम्बर 2016) के अनुसार आर सी सी फ्रेमयुक्त संरचना के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई दरें (₹ प्रति वर्ग मीटर)		आर सी सी फ्रेमयुक्त संरचना के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुसार दरें[6] (₹ प्रति वर्ग मीटर)	
	गैर आवासीय	आवासीय	गैर आवासीय	आवासीय
2019	17,790	17,970	25,500	19,500
2020	17,790	17,970	25,800	19,700
2021	17,790	17,970	27,090	20,685
	निर्माण की अनुमानित लागत = दर x आच्छादित क्षेत्रफल **उपकर = निर्माण की अनुमानित लागत x .01**			

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में, सचिव श्रम विभाग ने बताया कि शासनादेश की समीक्षा की जाएगी, और निर्माण कार्यों में बार-बार उपयोग की जाने वाली श्रेणियों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि सभी श्रेणियों को शामिल करने से फार्मूला जटिल हो जाएगा।

3.2 विकास प्राधिकरणों द्वारा उपकर के हस्तांतरण में देरी

उपकर नियमावली 1998 की धारा 5(3) के अंतर्गत, एकत्र किये गये उपकर को इसके संग्रहण के तीस दिनों के भीतर बोर्ड को अन्तरित कर दिया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

i. नमूना-जाँच किये गये विकास प्राधिकरणों द्वारा उपकर को मासिक के स्थान पर वार्षिक रूप से बोर्ड को अंतरित किया गया था।

---

[5] लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड ने 20 अगस्त 2015 को एक आदेश जारी किया जिसमें निर्देश दिया गया है कि भवन के प्लिंथ क्षेत्रफल की दरें वेबसाइट cpwd.gov.in पर उपलब्ध डी पी ए आर के आधार पर ली जाएंगी।

[6] इन दरों में भवन से संबन्धित अन्य कार्य जैसे विद्युतीकरण, जल निकासी, आदि शामिल नहीं हैं।

ii. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2021-22 तक एकत्र किये गये ₹ 24.29 करोड़ का उपकर लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2023) तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को अंतरित नहीं किया गया था। इसी तरह, जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2022-23 तक ₹ 4.32 करोड़ की उपकर राशि अवरुद्ध रखी गई थी।

iii. इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि संग्रह प्राधिकरणों के खाते में गैर-अन्तरित उपकर के अंतिम शेष में लगातार वृद्धि हुई थी जो वर्ष 2018-19 और 2019-20 में प्राप्त उपकर के क्रमशः चार से 100 *प्रतिशत* तक थी।

जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि एक नया संगठन होने और मानव संसाधन की कमी के कारण, उपकर समय पर बोर्ड को जमा नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्राधिकरण ने उपकर नियमों के तहत समय सीमा का पालन नहीं किया था। इस टिप्पणी पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में सचिव, श्रम विभाग ने आश्वासन दिया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ बैठक कर शीघ्र ही उत्तर प्रस्तुत किए जाएंगे।

3.3 उपकर निधि का व्यपवर्तन

उपकर नियमावली, 1998 की धारा 5(3) के तहत, एकत्र किया गया उपकर उसके संग्रहण के 30 दिनों के भीतर बोर्ड के बैंक खाते में अंतरित किया जाएगा।

3.3.1 ₹ 1.49 करोड़ की उपकर निधि का सरकारी राजस्व में व्यपवर्तन

नमूना जाँच किए गए कार्यदायी संस्थाओं के अभिलेखों में पाया गया कि ₹ 1.49 करोड़ की उपकर की राशि बोर्ड के खातों के स्थान पर सरकारी खातों[7] में जमा की गई थी। विवरण ***परिशिष्ट-3.4*** में दिया गया है।

कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2022) कि अप्रैल 2019 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई एफ एम एस) के कार्यान्वयन से पूर्व, कटौती किये गये उपकर को सीधे सरकारी खातों (श्रम एवं रोजगार प्राप्ति लेखा शीर्ष "023000106000000") में अंतरित किया जा रहा था एवं वर्ष 2019-20 से बोर्ड के खाते में जमा किया जा रहा था।

[7] "मुख्य लेखा शीर्ष 0230" श्रम एवं रोजगार विभाग के विभागीय प्रमुख को अंतरित और प्रेषित किया गया।

3.3.2 उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में ₹ 13.80 लाख के उपकर निधि का व्यपवर्तन

जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर के अभिलेखो की जाँच में पाया गया कि अपने कार्य के प्रारंभिक चरण में इनके द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के खाते में ₹13.80 लाख जमा किए गए थे।

इस ओर इंगित किए जाने पर, जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि उस समय प्राधिकरण द्वारा लिया गया समस्त शुल्क, उपकर राशि सहित, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को अंतरित कर दिया गया था और विश्लेषण के उपरांत लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा कि उपकर राशि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रेषित की गई थी अथवा नहीं। प्राधिकरण के उत्तर में प्रारम्भिक व्यपवर्तन के साथ-साथ व्यपवर्तित उपकर निधियों की अद्यतन स्थिति की जानकारी न होने संबंधी तथ्य को स्वीकार किया गया।

3.3.3 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा ₹ 1.76 करोड़ के उपकर निधि का व्यपवर्तन

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के श्रम उपकर से संबंधित बैंक विवरण की जाँच में पाया गया कि यह स्पष्ट नहीं था कि ₹ 1.76 करोड़ (आठ प्रविष्टियों को शामिल करते हुए) की उपकर राशि बोर्ड को अंतरित की गई थी अथवा नहीं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं बोर्ड के मध्य उपकर मिलान की कमी को देखते हुए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि उक्त राशि बोर्ड के पास जमा कर दी गई थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने न तो ₹ 1.76 करोड़ की धनराशि के वास्तविक प्राप्तकर्ता का विवरण दिया एवं न ही टिप्पणी का कोई उत्तर दिया।

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में सचिव, श्रम विभाग ने कहा कि वह मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ बैठक कर शीघ्र ही उत्तर देना सुनिश्चित करेंगे।

3.4 उपकर निर्धारण

3.4.1 निर्धारण अधिकारियों के रूप में कर्तव्यों के पालन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन न करना

उपकर अधिनियम की धारा 5 के तहत, अंतिम निर्धारण का संग्रहण एक समान दर पर किया जाना चाहिए जो शामिल भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य की मात्रा के आधार

पर निर्धारित किया जा सकता है। श्रम उपकर शासनादेश 2016 के प्रस्तर 4 (बी) के अनुसार, उपकर के निर्धारण के लिए जिलों में विकास प्राधिकरणों और सहायक श्रम आयुक्तों (ए एल सी) को निर्धारण अधिकारी/प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। समीक्षा में लेखापरीक्षा में निम्नानुसार पाया गया:

उप श्रम आयुक्त (डी एल सी), देहरादून ने 16 प्रकरणों (मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा अनुमोदित 15,104 भवन योजना के सापेक्ष) का निर्धारण किया जबकि सहायक श्रम आयुक्त ऊधम सिंह नगर ने कोई निर्धारण (जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा अनुमोदित 1,650 भवन योजना के सापेक्ष) नहीं किया। इसके अतिरिक्त, उप श्रम आयुक्त, देहरादून के 16 निर्धारण प्रकरणों में, यह पाया गया कि उपकर के अंतिम निर्धारण की गणना निर्माण की वास्तविक लागत पर नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, देय उपकर, भुगतान किए गए उपकर और देय शेष राशि, यदि कोई हो, की गणना निर्धारण के समय की जानी थी जो नहीं की गई थी।

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) के दौरान सचिव, श्रम विभाग ने आश्वासन दिया कि निर्धारण कार्य में वृद्धि की जाएगी।

3.4.2 निर्धारण के बाद वसूली

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, एक निर्धारण अधिकारी नियोक्ता द्वारा देय उपकर की राशि का निर्धारण करेगा और उस तारीख को निर्धारित करेगा जिसके भीतर नियोक्ता द्वारा उपकर का भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने उप श्रम आयुक्त, देहरादून में 16 निर्धारण प्रकरणों की समीक्षा की और पाया कि मार्च 2023 तक दो बिल्डरों से ₹ 6.96 करोड़ की उपकर राशि वसूली हेतु देय थी। विवरण **तालिका-3.4** में दिया गया है।

तालिका-3.4: वसूल किए जाने वाले उपकर का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	निर्माण अथवा भवन कार्य/ फर्म का नाम	निर्माण लागत	देय उपकर	भुगतान किया गया उपकर	भुगतान योग्य शेष उपकर
1.	इंपीरियल हाइट्स	6,497	64.97	38.47	26.50
2.	विंडलास डेवलपर्स	69,793.78	697.94	28.93	669.01
	कुल		**762.91**	**67.4**	**695.51**

स्रोत: श्रम विभाग।

उप श्रम आयुक्त, देहरादून ने बताया (मार्च 2023) कि उपकर के प्रेषण के संबंध में विवरण उपलब्ध कराने हेतु फर्म को आदेश जारी किया गया है (06 फरवरी 2023)। हालांकि, स्थिति यह है कि वसूली अब भी लंबित है।

3.4.3 निर्माण पूर्ण होने के 05 से 10 वर्ष बाद निर्धारण

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998 के नियम 6 के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता कार्य आरंभ होने के तीस दिनों के भीतर निर्धारण अधिकारी को विवरणी प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 16 प्रकरणों में से तीन का निर्धारण निर्माण कार्य पूर्ण होने के 05 से 10 वर्ष के पश्चात किया गया था। ऐसा वैधानिक आवश्यकता के बावजूद विवरणी प्रस्तुत न करने के कारण हुआ था। विवरण **तालिका-3.5** में दिया गया है।

तालिका-3.5: विलंबित प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	नियोक्ता का नाम	पूर्ण होने की तिथि/वर्ष	निर्धारण आदेश की तिथि
1.	मैसर्स रेड फॉक्स/वेस्टेंड	2016-17	16 फरवरी 2022
2.	मैसर्स होटल सैफरन लीफ	2010-11	20 अगस्त 2022
3.	मैसर्स होटल फॉरेस्ट एवेन्यू	2011-12	28 फरवरी 2022

स्रोत: श्रम विभाग।

इंगित किए जाने पर उप श्रम आयुक्त, देहरादून ने बताया कि यह निरीक्षण का मामला था और जब भी संज्ञान में आया, तत्काल कार्रवाई की गई। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि यह वैधानिक प्रावधान के विरुद्ध है।

3.4.4 त्रुटिपूर्ण एवं कम निर्धारण

उपकर नियमावली 1998 के नियम 7 (6) के अनुसार, निर्माण की लागत का यथासंभव सटीक आकलन करने हेतु निर्धारण किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि किया गया निर्धारण त्रुटिपूर्ण और कम था। त्रुटिपूर्ण और कम निर्धारण के कारणों का सविस्तार उल्लेख नीचे किया गया है:

i. निर्धारण हेतु अतिरिक्त भवन कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जाना

उत्तराखण्ड शासनादेश (फरवरी 2014) के अनुसार, "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य" की परिभाषा में सीवेज एवं प्लंबिंग कार्य, अग्निशमन उपकरणों की स्थापना एवं मरम्मत, विद्युत कार्य, के साथ-साथ 18 अन्य विनिर्दिष्ट कार्य भी सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्माण लागत का निर्धारण केवल नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत घोषणा के आधार पर किया और निर्माण की वास्तविक लागत में भवन के अतिरिक्त कार्यों जैसे सीवेज और प्लंबिंग कार्य, विद्युत कार्य, आदि पर विचार नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उपकर का कम निर्धारण हुआ।

उप श्रम आयुक्त, देहरादून ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2023) कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित आदेश[8] के अनुसार कार्रवाई की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का उक्त निर्णय विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण, बिजली की लाइनों, पाइपलाइनों, इत्यादि से संबंधित था, न कि भवन/निर्माण कार्यों से। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भवन निर्माण कार्य के संबंध में उक्त अतिरिक्त निर्माण पर उपकर लगाया जा सकता है।

ii. बिना भौतिक सत्यापन और माप के निर्धारण

उपकर नियमावली 1998 के नियम 10 के अनुसार, निर्धारण अधिकारी निर्माण की लागत का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है:

1. किसी भी अधिष्ठान में प्रवेश करना जहाँ भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य चल रहा है;
2. माप, नोट्स या फोटोग्राफ लेना;
3. निर्माण आदि की लागत के उचित निर्धारण हेतु नितांत आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना;

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण को भौतिक सत्यापन और माप के बिना अंतिम रूप दिया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्माण की लागत के यथासंभव सटीक आकलन हेतु निर्धारण अधिकारी ने नियोक्ता से कुछ दस्तावेज़ और घोषणापत्र मांगने के अलावा किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया।

इस संदर्भ में, उप श्रम आयुक्त, देहरादून ने तर्क दिया (मार्च 2023) कि विभागीय अधिकारी माप लेने के लिए तकनीकी रूप से सुसज्जित और कुशल नहीं हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्षमताएं हासिल करनी थी।

[8] एस एल पी (सी) सं. 2020 का 8630 ।

iii. अनुमोदित क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारण

एक प्रकरण में, उप श्रम आयुक्त, देहरादून ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के दस्तावेजी साक्ष्य[9] के स्थान पर बिल्डर की स्व-घोषणा पर भरोसा करके एक अधिष्ठान/निर्माण कार्य का 13,813 वर्ग मीटर तक कम निर्धारण किया। यह निर्धारण प्राधिकारी के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.82[10] लाख राशि का कम उपकर निर्धारण किया गया।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर, उप श्रम आयुक्त देहरादून ने बताया (मार्च 2023) कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अनुमोदन संबंधी कार्य के लिए अधिकृत था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा टिप्पणी कम निर्धारण से संबंधित है, न कि भवन के अनुमोदन से।

3.5 उपकर अभिलेखों का खराब रख-रखाव

i. उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा

बोर्ड के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उपकर लेनदेन की रोकड़ बही/अभिलेखों का उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा था और उपकर संग्रह एवं व्यय का मिलान न तो बैंक और न ही संग्रहण/कटौती एजेंसियों के साथ किया जा रहा था। इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने उपकर संग्रह के 88 प्रकरणों का चयन किया एवं बोर्ड के साथ सूची साझा की ताकि यह पुष्टि की जा सके कि राशि बोर्ड के बैंक खाते में जमा की जा रही थी या नहीं। हालाँकि, उपकर संग्रह से संबंधित अभिलेखों के खराब रखरखाव के कारण बोर्ड इसकी पुष्टि नहीं कर सका।

ii. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा

लेखापरीक्षा द्वारा पार्टी लेजर[11]और सामान्य लेजर में वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 42.50 लाख और वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 40.07 लाख का अंतर देखा गया। इसी प्रकार, 2020-21 के अंतिम शेष (₹ 6.01 लाख) और वर्ष 2021-22 के प्रारंभिक शेष

---

[9] इम्पीरियल हाइट्स 37,784.70 वर्गमीटर के आच्छादित क्षेत्रफल पर है, जिसकी कुल निर्माण लागत ₹ 64.97 करोड़ है, जैसा नियोक्ता ने घोषित किया है। हालांकि, निर्धारण प्राधिकारी के पास एम डी डी ए द्वारा अनुमोदित मानचित्र था, जिसमें भवन योजना का आच्छादित क्षेत्रफल 51,597.80 वर्गमीटर दिखाया गया था।

[10] (₹ 9,179 लाख - ₹ 6,497 लाख) x 0.01 = ₹ 26.82 लाख।

[11] यह विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र अनुमोदन से एकत्रित की गई राशि और बोर्ड को हस्तांतरित राशि को दर्शाता है।

(₹ 5.56 लाख) के बीच देय उपकर के सामान्य लेजर मे ₹ 0.45 लाख की भिन्नता देखी गयी। इस प्रकार की भिन्नताएं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अप्रभावी लेखा प्रणाली को दर्शाती है। इस मुद्दे पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में सचिव, श्रम विभाग ने कहा कि वह मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ बैठक कर शीघ्र ही उत्तर देना सुनिश्चित करेंगे।

iii. जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा

यह संज्ञान में आया कि जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा कई बैंक खातों में उपकर प्राप्त किया जा रहा था। हालांकि, इन खातों से डेबिट एवं क्रेडिट का मिलान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, काटे गए, प्राप्त किए गए उपकर एवं लंबित वसूली संबंधी अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था।

इस ओर इंगित किए जाने पर, जिला विकास प्राधिकरण ने उत्तर दिया कि जिला विकास प्राधिकरण में जनशक्ति की कमी के कारण आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया जा सका एवं भविष्य में इसका अनुपालन किया जाएगा।

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव ने बताया कि उपकर प्राप्तियों की निगरानी करने और उनका मिलान करने के लिए बैंकों के सहयोग से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है।

3.6 निष्कर्ष

उपकर के संग्रहण में उपकर नियमों का अनुपालन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप या तो उपकर का संग्रहण नहीं किया गया अथवा कम किया गया। इसके अतिरिक्त, अधिसूचित प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त निर्धारण प्राधिकारियों ने अपने कर्तव्यों के निष्पादन में शासनादेशों का अनुपालन नहीं किया, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त निधियाँ सुनिश्चित करने का लक्ष्य कमजोर हुआ। उपकर संग्रह की उचित प्रणाली न होने के कारण संग्रहकर्ताओं/कटौतीकर्ताओं को उपकर राशि की सही गणना की पुष्टि करने में असमर्थता हुई, तथा उपकर अभिलेखों के खराब रखरखाव के कारण उपकर संग्रह में पारदर्शिता प्रभावित हुई।

भवन योजनाओं को मंजूरी देने के समय उपकर संग्रह के लिए उपयोग की जाने वाली दरें व्यापक नहीं थीं और सरकारी नियमों के अनुसार अद्यतन नहीं थीं। इसके कारण कम उपकर राशि का संग्रह हुआ।

3.7 अनुशंसाएँ

उपकर संग्रहण एवं निर्धारण के लिए निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार किया जा सकता है:

1. ***शासन को निर्माण की लागत और उपकर की यथासंभव सही गणना करने के लिए एक व्यापक और अद्यतन दर तैयार करनी चाहिए;***
2. ***संबंधित अधिकारियों द्वारा बकाया उपकर की वसूली और एकत्रित उपकर का समय पर कल्याण बोर्ड को उचित निगरानी के माध्यम से अंतरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए;***
3. ***बोर्ड एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर सकता है, जिसके तहत उपकर राशि सीधे विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के बैंक खातों में जमा की जाए और विकास प्राधिकरणों द्वारा मासिक मिलान विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।***

अध्याय-4

स्वास्थ्य, सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन और निरीक्षण

अध्याय-4

स्वास्थ्य, सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन और निरीक्षण

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, निर्माण स्थलों पर भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य करने की अनुकूल परिस्थितियों की सुरक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अध्याय में कार्यस्थल पर घटनाओं की सूचना देने के लिए तंत्र का अभाव, चोट अथवा मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करने में बोर्ड की विफलता, निरीक्षण न किया जाना और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन न किए जाने जैसी कमियाँ उजागर की गई हैं।

4.1 निर्माण स्थल पर घटना का होना

4.1.1 कार्यस्थल पर चोट और मृत्यु की स्थिति में घटनाओं की रिपोर्टिंग तथा वित्तीय सहायता का प्रावधान

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली 2005 के नियम 210 (1) के अनुसार, नियोक्ता द्वारा निर्माण स्थल पर किसी भी दुर्घटना जो या तो मृत्यु का कारण बनती है या किसी भवन कर्मकार को दिव्यांग कर देती है, की सूचना तत्काल सहायक श्रम आयुक्त/उप श्रम आयुक्त/अपर श्रम आयुक्त, जिसके अधिकार क्षेत्र में वो क्षेत्र आता है, जिसमें वो निर्माण कार्य अधिष्ठान स्थित है तथा बोर्ड जिसके साथ दुर्घटना में शामिल भवन कर्मकार लाभार्थी के रूप में पंजीकृत था, को भेजी जाएगी। अधिनियम की धारा 22 (1) के अंतर्गत बोर्ड, दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को तत्काल सहायता प्रदान कर सकता है।

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017-18 और वर्ष 2021-22 के बीच निर्माण स्थलों पर किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी और इसके परिणामस्वरूप, किसी भी कर्मकार को निर्माण स्थल पर चोट या मृत्यु के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई थी। हालांकि, प्रमुख मीडिया प्रकाशनों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-22 के बीच उत्तराखण्ड में निर्माण स्थल पर मृत्यु और चोट के मामले सामने आए, जैसा **तालिका-4.1** में विवरण दिया गया है।

तालिका-4.1: मीडिया प्रकाशनों के अनुसार निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाओं/घटनाओं का विवरण

स्रोत	तिथि	समाचार शीर्षक	मृत्यु	घायल
ए एन आई का ट्वीट और टाइम्स ऑफ इंडिया[1]	21 दिसम्बर 2018	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के अनुसार, निर्माण स्थल से सात शव बरामद किए गए हैं और पाँच मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं।	7	5
एन डी टी वी	07 मार्च 2019	उत्तराखण्ड भूस्खलन में बिहार के दो मजदूर जिंदा दफन।	2	लागू नहीं
द हिन्दू	24 अगस्त 2020	उत्तराखण्ड राजमार्ग पर भूस्खलन से तीन अर्थ मूविंग मशीन संचालकों की मौत।	3	लागू नहीं
न्यूज़डे एक्सप्रेस	23 फरवरी 2022	ऋषि गंगा हादसे के निशान अब भी मौजूद हैं। सफाई सुरंगों में दो शव मिले।	2	लागू नहीं
कुल			**14**	**5**

बोर्ड ने अपने उत्तर में बताया (मई 2023) कि निर्माण गतिविधियों की निगरानी की कमी एवं एक मजबूत रिपोर्टिंग प्रणाली के अभाव के कारण, घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं की जा सकी। हालांकि, बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में, सचिव, श्रम विभाग ने उत्तर दिया कि वे कार्य स्थल पर दुर्घटना के मामले में समूह बीमा कर सकते हैं।

4.2 चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में विफलता

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम की धारा 22 (1) (एफ) में प्रावधान है कि उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड किसी लाभार्थी या उसके आश्रित के ऐसे चिकित्सा खर्चों का वहन कर सकता है, जो राज्य सरकार/केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित हैं।

अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड ने कर्मचारी राज्य बीमा (ई एस आई) की तर्ज पर चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान किया था, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमों के अनुरूप नहीं था। हालाँकि यह योजना भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अनुरूप नहीं थी।

बोर्ड ने उत्तर (मई 2023) दिया कि वह एक स्वायत्त निकाय है एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अनुसार काम करता है। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि बोर्ड को नए कल्याण प्रावधान बनाने से पूर्व में शासन से अनुमोदन लेना था।

[1] पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) से पुष्टि की गई।

4.3 निर्माण कार्य अधिष्ठान निरीक्षण

नियम 298 (2) के अनुसार, श्रम विभाग निरीक्षक, स्थानीय सीमा जिसके लिए उसको नियुक्त किया गया है, के भीतर किसी भवन एवं अन्य निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर, निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के संबंध में नियोक्ताओं को कारण बताओ नोटिस या चेतावनी जारी कर सकता है।

नमूना जाँच की गई इकाइयों[2] की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि जनपद ऊधम सिंह नगर में 2,018 निर्माण कार्यों के सापेक्ष केवल 16 निरीक्षण किए गए, जबकि देहरादून जनपद में निर्माण स्थलों पर कर्मकारों के लिए सुरक्षा उपायों और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान 15,637 निर्माण कार्यों के सापेक्ष कोई निरीक्षण ***(प्रस्तर 4.4*** में निरीक्षण विवरण पर चर्चा की गई है) नहीं किया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर उप श्रम आयुक्त, देहरादून ने 2018 में शासनादेश[3] के आधार पर अपनी निष्क्रियता को उचित ठहराया। यह उत्तर उचित नहीं था क्योंकि आदेश उद्योगों के निरीक्षण से संबंधित था और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम/नियमों के तहत निर्माण कार्यों के निरीक्षण पर लागू नहीं था। भवन निर्माण कर्मकारों की मजदूरी, कार्य की दशाएं, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों को सुनिश्चित करने के लिए उन कार्य स्थलों का निरीक्षण किया जाना चाहिए जहां निर्माण कार्य चल रहा हो।

4.4 निरीक्षण तंत्र

लेखापरीक्षा ने 16 निरीक्षण टिप्पणियों की समीक्षा की और निम्नलिखित कमियाँ पाई:

i. **अपरिपूर्ण निरीक्षण टिप्पणियां:-** निरीक्षण टिप्पणियों में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 28 से 37 और 44 से 46 के अनुसार निर्धारित उपलब्ध सुविधाओं, सेवा की शर्तों और चिकित्सा सुविधाओं के आश्वासन के संबंध में जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण टिप्पणी में निर्माण कार्य अधिष्ठान, अनुमानित लागत, उपकर और कर्मकारों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण व्यापक रूप में उपलब्ध नहीं था।

---

[2] तालिका संख्या-2.1 के अनुसार।

[3] उत्तराखण्ड सरकार (नवम्बर 2018) द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर औचक निरीक्षण के संबंध में तथा श्रम आयुक्त/मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड से अनुमोदन के अधीन।

ii. **कर्मकारों के पंजीकरण के संबंध में कोई जानकारी न होना:**- इन निरीक्षण किए गए निर्माण कार्यों में कुल 248 कर्मकार तैनात किए गए थे। कर्मकारों के पंजीकरण की स्थिति के संबंध में निरीक्षण टिप्पणियों में कोई टिप्पणी नहीं की गई।

iii. **अभिलेखों का अनुरक्षण न किया जाना:-** किसी भी नियोक्ता द्वारा संबन्धित अभिलेख जैसे वेतन पंजिका, वेतन पर्ची एवं उपस्थिति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम का उल्लंघन भी था।

iv. **उपकर का अपवंचन:-** उपकर जमा न कराने संबंधी बिन्दु का उल्लेख केवल एक मामले में किया गया।

v. **गैर-पंजीकरण:**- निरीक्षण के बाद भी इनमें से कोई भी निर्माण कार्य निर्माण कार्य अधिष्ठान के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था।

vi. **जुर्माना का अधिरोपित न किया जाना:-** भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कई उल्लंघनों के बावजूद किसी भी निर्माण कार्य अधिष्ठान पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया गया था।

vii. **अभिलेख प्रस्तुत करने से इनकार:-** भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 49 (2) के अंतर्गत, जो कोई भी इस अधिनियम के अनुसरण में किसी निरीक्षक की मांग के अनुसार किसी भी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने से जानबूझकर मना करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास जो तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा जुर्माना जो एक हज़ार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। निरीक्षण टिप्पणी संख्या 629 में यह उल्लेख किया गया था कि मांग किए जाने पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 49 (2) का उल्लंघन करता है अर्थात निरीक्षक की मांग पर अभिलेख प्रस्तुत करने से जानबूझकर मना करना। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अनुसार नियोक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

viii. **निरीक्षणों के अनुपालन की निगरानी न किया जाना:-** निरीक्षण किए गए 16 निर्माण कार्यों से न तो उपकर की वसूली की गई और न ही पंजीकरण किया

गया। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त टिप्पणियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो निरीक्षण टिप्पणियों के अनुवर्ती कार्रवाई हेतु तंत्र के अभाव का द्योतक है।

उपर्युक्त के उत्तर में, लेखापरीक्षित इकाई द्वारा कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

4.5 निर्माण स्थल पर काम की दशाओं, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदण्डों के अनुपालन का अभाव

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन की जाँच करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किए गए कार्यकारी अभिकरणों[4] और श्रम विभाग के साथ 19 अधिष्ठानों ***(परिशिष्ट-2.1)*** का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। संयुक्त निरीक्षण के अवलोकन नीचे **तालिका-4.2** में दिए गए हैं।

तालिका-4.2: स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदण्डों के अनुपालन का विवरण

विषय	विवरण	अनुपालन (19 में से)
पंजीकरण	निर्माण कार्य अधिष्ठान के रूप में निर्माण अथवा भवन निर्माण कार्यों का पंजीकरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किया जाना था।	शून्य[5]
अधिनियम का सार	अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का सार अंग्रेजी, हिंदी और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में कार्य स्थल पर प्रदर्शित किया जाना था। [नियम 241(5)]	शून्य
सूचना	उपर्युक्त नोटिस की एक प्रति संबंधित निरीक्षक को भेजी जानी थी। [धारा 46 और नियम 238 (2) के अनुसार]	केवल एक मामले में ऐसा नोटिस भेजा गया था।
सेवा प्रमाणपत्र	भवन निर्माण कर्मकारों को उनकी सेवाओं की समाप्ति पर फॉर्म XXIV में सेवा प्रमाण पत्र जारी किया जाना था। [धारा 30 और नियम 241 (2) (बी) के अनुसार]	शून्य
वार्षिक विवरणी	निर्माण कार्य अधिष्ठान के संबंध में विवरणी [नियम 242 के अनुसार]	शून्य
पंजिका	नियोक्ता को फॉर्म XV में निर्माण कर्मकारों की एक पंजिका का अनुरक्षण करना था। [धारा 30(1) और नियम 240 के अनुसार]	सत्तरह निर्माण कार्य अधिष्ठानों (89.47 *प्रतिशत)* ने पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया था, जबकि दो

[4] एम डी डीए को छोड़कर।

[5] केवल एक अधिष्ठान ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया लेकिन संयुक्त निरीक्षण की तिथि तक पंजीकृत नहीं हुआ।

विषय	विवरण	अनुपालन (19 में से)
		निर्माण कार्य अधिष्ठानों (10.53 *प्रतिशत)* के अभिलेख कार्य स्थल पर उपलब्ध नहीं थे।
शौचालय और मूत्रालय	नियोक्ता द्वारा निर्धारित मानदण्ड या निर्धारित प्रकार में शौचालय और मूत्रालय उपलब्ध कराने थे। [धारा 33 नियम 243 के अनुसार]	यह सुविधा आठ (42.10 *प्रतिशत)* निर्माण कार्य अधिष्ठानों में उपलब्ध नहीं थी। अन्य अधिष्ठानों में यह सुविधा थी, लेकिन नियमों के अनुसार नहीं थी।
आवासीय व्यवस्था	नियोक्ता द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार, निर्माण कर्मकारों को नि:शुल्क और कार्य स्थल के भीतर आवासीय व्यवस्था उपलब्ध करानी थी। [धारा 34(1) और 34(2) के अनुसार।	सात निर्माण कार्य अधिष्ठानों (36.84 *प्रतिशत)* ने निर्माण कर्मकारों को आवासीय व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई थी।
पेयजल	नियोक्ता द्वारा पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराना था [धारा 32(1) के अनुसार]	पाँच निर्माण कार्य अधिष्ठानों (26.31 *प्रतिशत)* ने पीने योग्य पेयजल उपलब्ध नहीं कराया था।
चिकित्सा परीक्षण	धारा 40 (1) और 40 (2) (यू) और नियम 223 (ए) (ii) एवं (iii) और 223 (सी) के अनुसार कर्मकारों का आवधिक रूप से चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना था।	सत्तरह (89.47 *प्रतिशत)* निर्माण कार्य अधिष्ठानों में, कर्मकारों का आवधिक रूप से परीक्षण नहीं किया गया था।
प्राथमिक चिकित्सा बक्से	नियमों की अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं से युक्त पर्याप्त संख्या में प्राथमिक चिकित्सा बक्से रखे/उपलब्ध कराए जाने थे। [धारा 40 (1) एवं 40 (2) (टी) और नियम 231 (ए) के अनुसार]	दो (10.52 *प्रतिशत*) निर्माण कार्य अधिष्ठानों में प्राथमिक चिकित्सा बक्से अनुपलब्ध पाए गए, जबकि 17 (89.48 *प्रतिशत)* अधिष्ठानों में प्राथमिक चिकित्सा बक्से उपलब्ध थे, लेकिन उस रूप में नहीं थे जैसा विनिर्दिष्ट है।
सुरक्षात्मक उपकरण	नियोक्ता द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार सिर की सुरक्षा और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराने थे। [धारा 40 (1) एवं 40 (2) (यू) और नियम 46 (1) और 46 (2) के अनुसार]	आठ (42.11 *प्रतिशत)* नियोक्ताओं ने सिर की सुरक्षा हेतु उपकरण उपलब्ध नहीं कराए थे।
स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति	निर्माण कार्य अधिष्ठान में 50 या अधिक निर्माण कर्मकारों के कार्य करने की स्थिति में, नियोक्ता को मुख्य निरीक्षक द्वारा विधिवत ढंग से अनुमोदित स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति तैयार करनी थी। [धारा 40 (1) एवं 40 (2) (आर) और नियम 39 के अनुसार]।	तीन (15.79 *प्रतिशत)* निर्माण कार्य अधिष्ठानों में 50 या अधिक निर्माण कर्मकार कार्यरत थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुख्य निरीक्षक द्वारा विधिवत ढंग से अनुमोदित स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति तैयार नहीं की।

स्रोत: ओ आई ओ एस डी सी टी के-994 ।

कार्यस्थल पर अस्वास्थ्यकर पेयजल सुविधाएं

उपलब्ध कराए गए आवास में निर्धारित न्यूनतम सुविधाओं जैसे प्रत्येक कर्मकार के लिए पृथक बिस्तर, भंडारण, आदि का अभाव था।

बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करते कर्मकार

कार्यस्थल पर खराब हालत में शौचालय एवं मूत्रालय

फोटों/संयुक्त निरीक्षणों में इंगित कमियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित नियोक्ताओं पर जुर्माना का अधिरोपण अपेक्षित था। हालांकि, श्रम विभाग ने स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदण्डों का पालन न करने के लिए किसी भी नियोक्ता पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया था और पर्याप्त निरीक्षण नहीं किए थे।

अपने उत्तर में, कार्यदायी संस्थाओं ने स्वीकार किया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त तंत्र तैयार न किए जाने के कारण निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं किया जा सका।

4.6 निष्कर्ष

कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदण्डों को लागू करने के लिए श्रम विभाग द्वारा संचालित अपर्याप्त निरीक्षण एक महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, काम करने की परिस्थितियों, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदण्डों से संबंधित निरीक्षणों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफलता एक प्रणालीगत मुद्दे को रेखांकित करती है, जो निर्माण स्थलों पर कर्मकारों के कल्याण को जोखिम में डालता है। इन आवश्यक मानदण्डों का पालन न करने के लिए नियोक्ताओं पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं

किया गया था। प्रवर्तन की यह कमी न केवल श्रम विभाग की विश्वसनीयता को कम करती है, बल्कि एक उदाहरण स्थापित करती है जो सांविधिक मानदण्डों के कार्यान्वयन में नियोक्ताओं द्वारा लापरवाही को प्रोत्साहित कर सकती है।

4.7 अनुशंसाएँ

निम्नलिखित अनुशंसाएँ स्वीकार की जा सकती हैं:

1. **उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण *बोर्ड को निर्माण स्थलों पर होने वाली घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए एवं मृत्यु एवं घायल होने के मामलों में कर्मकारों को तत्काल सहायता उपलब्ध करानी चाहिए;***
2. ***श्रम विभाग को निर्माण स्थलों पर स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कार्य की बेहतर दशाएं सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त एवं तेजी से आगे की कार्रवाई के साथ प्रभावी एवं व्यापक निरीक्षण करने चाहिए। अनुपालन न किये जाने पर नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।***

अध्याय-5

कल्याणकारी उपायों का कार्यान्वयन

अध्याय-5

कल्याणकारी उपायों का कार्यान्वयन

निर्माण कर्मकारों हेतु कल्याणकारी उपाय, काफी हद तक कल्याणकारी योजनाओं के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। योजनाओं के संचालन में, अधिक भुगतान, लाभ अंतरण में विलम्ब, अनियमित क्रय, पात्रता सुनिश्चित किए बिना लाभ देना और पेंशन तथा विकलांगता योजनाओं का संचालन न करना आदि अनियमितताएँ पायी गईं।

5.1 योजनाओं पर व्यय का विवरण

चयनित योजनाओं के अन्तर्गत व्यय और लाभार्थियों की संख्या का विवरण प्रवृत्ति सहित क्रमशः **तालिका-5.1** और **तालिका-5.2** में दिया गया है।

तालिका-5.1: चयनित योजनाओं का व्यय विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	प्रवृत्ति
1	विवाह सहायता	10.02	13.31	28.47	10.99	4.3	
2	मृत्योपरांत सहायता	10.33	11.12	12.57	8.48	5.44	
3	छात्रवृत्तिसहायता	3.85	3.71	5.08	0.11	2.02	
4	प्रसूति लाभ	0.21	0.09	0.72	0.12	0.04	
5	कम्बल सहायता	0	0	9.09	0	0	
6	टूलकिट सहायता	0.62	0	27.34	0	0	
7	साइकिल योजना	0.8	0.48	22.83	1.65	4.56	
8	राशन-किट (कोविड-19)	0	0	0	42.44	0	
9	वृद्धावस्था पेंशन	0	0	0	0	0	
10	विकलांगता पेंशन	0	0	0	0	0	
योग		**25.83**	**28.71**	**106.10**	**63.79**	**16.36**	

स्रोत: उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।

तालिका-5.2: चयनित योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	योजना का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	प्रवृत्ति
1	विवाह सहायता	2,714	4,256	5,896	1,492	980	
2	मृत्योपरांत सहायता	378	463	395	349	262	
3	छात्रवृत्तिसहायता	5,756	7,836	7,214	390	4,884	
4	प्रसूति लाभ	238	570	218	90	79	
5	कम्बल सहायता	-	-	44,447	500	20,053	
6	टूलकिट सहायता	6,170	-	26,001	12,999	-	
7	साइकिल योजना	2,100	1,270	65,293	4,342	11,995	
8	राशन-किट (कोविड-19)	-	-	-	3,25,000	-	
9	वृद्धावस्था पेंशन	0	0	0	0	0	
10	विकलांगता पेंशन	0	0	0	0	0	
योग		**17,356**	**14,395**	**1,49,464**	**3,45,162**	**38,253**	

स्रोत: उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।

टिप्पणी: सामग्रियों के क्रय और वितरण पर प्रतिबंध, वर्ष 2021-22 में व्यय और लाभार्थियों की संख्या में अचानक गिरावट के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2017-18 और 2021-22 के मध्य चयनित योजनाओं के अन्तर्गत व्यय और लाभार्थियों की संख्या की प्रवृत्ति **चार्ट-5.1** में दर्शाई गई है।

चार्ट-5.1: व्यय और लाभार्थियों की संख्या की प्रवृत्ति

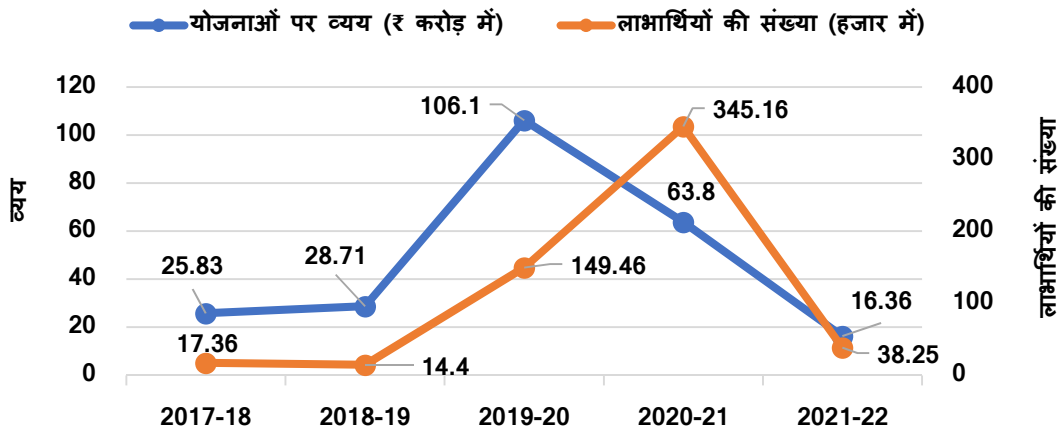

5.2 कल्याणकारी योजनाओं का त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन

नमूना जाँच किए गए जनपदों में 10 चयनित योजनाओं की अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:

तलिका-5.3: चयनित योजनाओं के अन्तर्गत अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	अतिरिक्त भुगतान	अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन	पात्रता सुनिश्चित किए बिना लाभ	सरकार के अनुमोदन के बिना
1	विवाह सहायता	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
2	मृत्योपरांत सहायता	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
3	छात्रवृत्ति सहायता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
4	प्रसूति लाभ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
5	कम्बल सहायता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6	टूलकिट सहायता	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
7	साइकिल योजना	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
8	राशन किट (कोविड-19)	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
9	वृद्धावस्था पेंशन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	विकलांगता पेंशन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

** वृद्धावस्था पेंशन और विकलांगता पेंशन योजनाएँ वर्ष 2017-18 और 2021-22 के बीच निष्क्रिय थी।*

5.2.1 विवाह सहायता योजना

उत्तराखण्ड सरकार श्रम और रोजगार अधिसूचना (फरवरी 2015) द्वारा ऐसे निर्माण कर्मकारों जिन्होंने पंजीकरण के उपरान्त तीन माह की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली है, की बेटियों अथवा स्वयं महिला कर्मकार के विवाह हेतु ₹ 51,000/- की आर्थिक सहायता निर्धारित की गई है।

5.2.1.1 ₹ 7.19 करोड़ का अधिक भुगतान

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 22 (1) (च)[1] के अनुसार बोर्ड के कार्यों में ऐसे अन्य कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करना और उनमें सुधार करना निहित है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने राज्य सरकार के किसी भी अनुमोदन के बिना विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता राशि को ₹ 51,000 से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2018), जो प्रावधानों के विरुद्ध था। नमूना जाँच किए गए जनपदों में, बोर्ड के इस निर्णय के कारण दिसम्बर 2018 से नवम्बर 2021 तक 1,468 लाभार्थियों को ₹ 7.19 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में, सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने बताया कि पूर्ववर्ती आदेश को संशोधित कर दिया गया और बढ़ी हुई राशि को अधिनियम/नियमावली के अनुसार निर्धारित राशि में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है (नवम्बर 2021)।

5.2.1.2 पात्रता सुनिश्चित किए बिना लाभ प्रदान किया जाना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत, एक पंजीकृत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अथवा पिछले 12 महीनों में न्यूनतम 90 दिन भवन या अन्य निर्माण कार्य में संलग्न न होने पर लाभार्थी नहीं रहेगा।

नमूना जनपदों[2] में विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-22 की अवधि के लिए 41 लाभार्थियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि लाभार्थियों के किसी भी आवेदन में ऐसे निर्माण कार्य अधिष्ठानों से संबन्धित सूचना या अभिलेख नहीं थे जहाँ ये लाभार्थी न्यूनतम 90 दिनों से नियोजित थे अथवा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत थे। इन अभिलेखों के अभाव में, लाभार्थियों की सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

---

[1] भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के बिंदु 'एम' में दी गई 'निर्धारित' की परिभाषा के साथ पठित।

[2] ऊधम सिंह नगर एवं देहरादून।

5.2.1.3 लाभ देने में विलम्ब

यह पाया गया कि राज्य में कर्मकारों को लाभ देने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। तदनुसार, 2017-22 की अवधि के लिए नमूना जाँच किए गए 41 प्रकरणों में से 90 *प्रतिशत*[3] में, भुगतान की औसत अवधि आवेदन की तिथि से 321[4] दिन थी।

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने अवगत कराया कि लाभ देने के लिए समय-सीमा तैयार की जा रही है।

5.2.2 मृत्योपरांत सहायता

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में गठित समिति ने राज्यों को सुझाव दिया (अक्टूबर 2018) कि मुआवजे का वितरण एक निश्चित समय सीमा में किया जाना चाहिए जो लाभार्थियों की मृत्यु की तारीख से 60 दिनों से अधिक न हो।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए दोनों चयनित जनपदों में 49 प्रकरणों की संवीक्षा की और पाया कि सभी जाँच किए गए प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा के भीतर लाभ प्रदान नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, आवेदन प्राप्ति से लाभार्थी को भुगतान तक का औसत समय 140 दिन था।

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने अवगत कराया कि लाभ देने की समय-सीमा तैयार की जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मॉडल कल्याण योजना के तहत समय-सीमा पहले ही तैयार की जा चुकी है; बोर्ड को समयसीमा का पालन करने की आवश्यकता है।

5.2.3 मातृत्व लाभ (प्रसूति योजना)

राज्य सरकार के आदेश (अक्टूबर 2016) के अनुसार पात्र लाभार्थी को ₹ 10,000 का मातृत्व लाभ अनुमन्य था। उक्त सरकारी आदेश के उल्लंघन में, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने एकतरफा निर्णय लेते हुए (दिसम्बर 2018) मातृत्व लाभ सहायता को ₹ 10,000 से बढ़ाकर पुत्र के लिए ₹ 15,000 एवं पुत्री के लिए ₹ 25,000 कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2018 से नवम्बर 2021 तक 225 प्रकरणों में ₹ 19.75 लाख का अधिक भुगतान किया गया था।

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में, सचिव उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने बताया कि पूर्ववर्ती आदेश को संशोधित कर दिया गया एवं

---

[3] अधिकतम विलम्ब के 10 *प्रतिशत* (4 प्रकरणों) को छोड़कर।

[4] अधिकतम विलम्ब के 4 प्रकरणों को छोड़कर।

बढ़ी हुई राशि को अधिनियम/नियमों के अनुसार निर्धारित राशि में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है (नवम्बर 2021)।

5.2.4 साईकिल योजना

उत्तराखण्ड शासनादेश (फरवरी 2015) द्वारा प्रावधान किया गया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों को समय पर कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए उनके आवेदन पर एक साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा केवल एक बार उपलब्ध कराई जानी थी। 2017-22 के दौरान, 3,66,352 पंजीकृत कर्मकारों में से 85,000 (23 *प्रतिशत*) को साइकिल प्रदान की गई थी। लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियां पाई:

i. ₹ 32.78 करोड़ का अनियमित क्रय

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 35 के अनुसार ₹ 2.5 लाख से अधिक की अधिप्राप्ति सार्वजनिक अधिप्राप्ति पोर्टल (www.uktenders.gov.in) से ई-प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से की जाएगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2018-22 के दौरान ₹ 32.78 करोड़ मूल्य की 83,560 साइकिलों की खरीद के लिए मैसर्स आई टी आई लिमिटेड (अगस्त 2019) और मैसर्स टी सी आई एल (अक्टूबर 2018) को नामित किया। हालांकि, मैसर्स आई टी आई एवं मैसर्स टी सी आई एल लिमिटेड को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था, न कि गैर-आईटी संबंधित आपूर्तियों के लिए। इसके अतिरिक्त, मैसर्स टी सी आई एल लिमिटेड एवं मैसर्स आई टी आई लिमिटेड ने साइकिलों के क्रय के लिए सेंटेज/सेवा प्रभार के रूप में ₹ 1.67 करोड़ का दावा किया था जो परिहार्य था।

इस संदर्भ में, बोर्ड ने अवगत कराया (नवम्बर 2023) कि भविष्य में अधिप्राप्तियां उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार की जाएंगी।

ii. ₹ 10.82 करोड़ की 31,645 साइकिलों की स्थिति ज्ञात न होना

बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जिला देहरादून को 37,665 साइकिलों की आपूर्ति की गई थी, जबकि उप श्रम आयुक्त, देहरादून द्वारा 2017-22 के दौरान केवल 6,020 साइकिलें प्राप्त और वितरित की गई थी।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर बोर्ड ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2023) कि विभाग द्वारा संवीक्षा की प्रक्रिया चल रही है।

iii. कर्मकार को साइकिल का अधिक वितरण

लेखापरीक्षा ने जिला ऊधम सिंह नगर में साइकिल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-22 की लाभार्थियों की सूची की समीक्षा की और पाया कि 216 लाभार्थियों को दो बार, 28 लाभार्थियों को तीन बार एवं छह लाभार्थियों को चार बार साईकिल वितरित की गई थी। इस प्रकार कर्मकारों को ₹ 9.91 लाख[5] मूल्य की कुल 290 साइकिलें अधिक वितरित की गई।

सहायक श्रम आयुक्त, ऊधम सिंह नगर ने अवगत कराया (दिसम्बर 2022) कि बोर्ड के निर्देशों के अनुसार सामग्री वितरित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार साइकिल केवल एक बार ही प्रदान की जानी थी।

iv. लाभार्थियों से पावती न लिया जाना

यह पाया गया कि 2017-22 के दौरान चयनित जनपदों देहरादून और ऊधम सिंह नगर में 20 नमूना-जाँच किए गए लाभार्थियों में से किसी से भी वितरित साइकिल की पावती नहीं ली गई थी। पावती के अभाव में साइकिल के वितरण की पुष्टि नहीं की जा सकती थी।

बोर्ड ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2023) कि साइकिलें/वस्तुएं कैंपों (2017 से 2022) के माध्यम से वितरित की गई थीं, इसलिए अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा सका था।

v. आवेदन प्राप्त किए बिना वितरण

यह पाया गया कि 2017-22 के दौरान जिला देहरादून में साइकिलों के वितरण के लिए लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त नहीं किए गए थे।

बोर्ड ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2023) कि वस्तुएं कैंपों (2017 से 2022) के माध्यम से वितरित की गई थी, इसलिए अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा सका था।

5.2.5 टूलकिट योजना

उत्तराखण्ड श्रम और रोजगार विभाग ने एक अधिसूचना जारी की (सितम्बर 2013) कि पंजीकृत निर्माण कर्मकारों को उनके आवेदन पर टूलकिट उपलब्ध कराई जानी थी। लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियां पाई:

[5] न्यूनतम दर @ ₹ 3,418.57 प्रति साईकिल।

i. अनियमित क्रय

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियम का उल्लंघन करते हुए, बोर्ड ने मैसर्स टी सी आई एल को वर्ष 2018-21 के दौरान ₹ 33.23 करोड़ मूल्य की टूलकिटों की खरीद के लिए नामित किया (अक्टूबर 2018)। लेकिन मैसर्स टी सी आई एल को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था, न कि गैर-आईटी संबंधित आपूर्तियों के लिए। इसके अतिरिक्त, मैसर्स टी सी आई एल लिमिटेड ने वर्ष 2018-22 के दौरान टूलकिटों की खरीद के लिए सेंटेज/सर्विस चार्ज के रूप में ₹ 0.97 करोड़ का दावा किया, जो परिहार्य था।

इस संदर्भ में, बोर्ड ने अवगत कराया (नवम्बर 2023) कि भविष्य में अधिप्राप्तियां उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार की जाएंगी।

ii. 22,255 टूलकिटों की स्थिति ज्ञात न होना

बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जिला देहरादून में 22,426 टूलकिटों की आपूर्ति की गई थी, जबकि वर्ष 2018-22 के दौरान उप श्रम आयुक्त, देहरादून द्वारा मात्र 171 टूलकिट प्राप्त और वितरित की गई थी।

बोर्ड ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2023) कि विभाग द्वारा संवीक्षा की प्रक्रिया चल रही है।

iii. लाभार्थियों से पावती न लिया जाना

वर्ष 2018-22 के दौरान नमूना जाँच किए गए प्रकरणों में यह पाया गया कि जिला देहरादून में 20 लाभार्थियों से वितरित टूलकिटों की पावती नहीं ली गई थी। पावती के अभाव में टूलकिट वितरण की पुष्टि नहीं की जा सकती थी।

iv. आवेदन प्राप्त किए बिना वितरण

यह पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान जिला देहरादून में टूलकिटों के वितरण के लिए 20 नमूना जाँच किए गए लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त नहीं किए गए थे।

इस सन्दर्भ में, बोर्ड ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2023) कि वस्तुएं कैंपों के माध्यम से वितरित की गई थी, इसलिए अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा सका था।

5.2.6 राशन किट योजना

बोर्ड के कार्यालय आदेश (मई 2020) के अनुसार, लॉकडाउन में कठिनाइयों से राहत देने के लिए पंजीकृत निर्माण कर्मकारों को डोर-टू-डोर राशन किट वितरित की जानी थी। लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियां पाई:

i. आम जनता को राशन किट वितरित किया जाना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक भवन श्रमिक, अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा इसकी निधि से प्रदत्त लाभों का हकदार होगा।

यह पाया गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 9.36 करोड़ मूल्य की 75,000 राशन किट क्रय की गई थी और उन लोगों को वितरित की गई, जो बोर्ड के साथ कर्मकार के रूप में पंजीकृत नहीं थे। बोर्ड इन लाभार्थियों की सूची के साथ इनके निर्माण कर्मकार होने का आश्वासन भी उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार, पंजीकृत कर्मकारों के कल्याण के उद्देश्य हेतु निर्धारित निधि का उपयोग आम जनता के लिए किया गया था।

बोर्ड ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2023) कि भविष्य में निधि का व्यय केवल पंजीकृत कर्मकारों के लिए किया जाएगा।

ii. सरकार के अनुमोदन के बिना योजना का निर्माण

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बोर्ड ने वर्ष 2020-21 में सरकार के अनुमोदन के बिना एक राशन किट योजना का प्रावधान किया था। बोर्ड द्वारा कल्याणकारी उपायों में प्रावधान और सुधार तब तक नहीं किया जा सकता जब तक इसे सरकार से अनुमोदन न मिल जाए और राज्य विधानमंडल[6] के समक्ष रखा न जाए। वहीं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अन्तर्गत लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद 80 करोड़ जनसंख्या को राशन भी उपलब्ध कराया था।

बोर्ड ने अवगत कराया (नवम्बर 2023) कि महामारी के दौरान कर्मकारों को लाभ देने के लिए योजना का निर्माण किया गया था।

iii. ₹ 53.58 करोड़ का अनियमित क्रय

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करते हुए, बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 53.58 करोड़ मूल्य की राशन किटों की खरीद के लिए मैसर्स आई टी आई लिमिटेड (मई 2020) को नामित किया था। मैसर्स आई टी आई लिमिटेड को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था, न कि गैर-आई टी संबंधित आपूर्ति के लिए। इसके अतिरिक्त, आई टी आई ने उक्त कार्य के लिए सेंटेज शुल्क के रूप में ₹ 3.51 करोड़ का दावा किया जो परिहार्य था।

---

[6] भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 62 और 22 (1) (एच) के अनुसार।

बोर्ड ने अवगत कराया (नवम्बर 2023) कि अधिप्राप्ति महामारी में की गई थी और आपातकाल के दृष्टिगत उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अधिप्राप्ति की गई थी।

iv. जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई राशन किट

सूची की हार्ड कॉपी की नमूना जाँच के दौरान, यह पाया गया कि देहरादून में ग्राम प्रधान और राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा बड़ी मात्रा में राशन किटें प्राप्त की गई थी, जबकि इस फर्म के साथ राशन किट की क्रय और वितरण हेतु अनुबंध के अनुसार आई टी आई लिमिटेड द्वारा डोर-टू-डोर राशन किट वितरित की जानी थी।

बोर्ड ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2023) कि उसे दूर-दराज के क्षेत्रों में लाभ उपलब्ध कराना था, इसलिए, श्रम प्रवर्तन अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की सहायता से किटें वितरित की गई थी।

v. लाभार्थियों से पावती की अनुपलब्धता

नमूना जाँच किए गए प्रकरणों में यह पाया गया कि देहरादून और ऊधम सिंह नगर जनपदों में वर्ष 2020-21 के दौरान वितरित राशन किटों की पावती 20 नमूना जाँच किए गए लाभार्थियों में से किसी से भी नहीं ली गई थी। लेखापरीक्षा को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराई गई लाभार्थियों की सूची में केवल नाम, पंजीकरण संख्या और पता था। इन विवरणों से लाभार्थियों द्वारा वस्तुओं की प्राप्ति की पुष्टि नहीं हुई।

बोर्ड ने अवगत कराया (नवम्बर 2023) कि आई टी आई लिमिटेड से पावती मांगी जा रही है।

5.2.7 वृद्धावस्था पेंशन और विकलांगता पेंशन

दिशानिर्देशों के अनुसार, पेंशन केवल उन पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लिए स्वीकार्य होनी चाहिए जो न्यूनतम 10 वर्षों से पंजीकृत हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि ₹ 1,000 प्रति माह और 65 वर्ष के बाद ₹ 1,500 प्रति माह थी। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली के अंतर्गत नियम 275 विकलांगता पेंशन में कहा गया है कि बोर्ड पक्षाघात, कुष्ठ रोग, टीबी, दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूप से विकलांग लाभार्थी को विकलांगता पेंशन के रूप में ₹ 1,000 प्रति माह की राशि मंजूर कर सकता है।

अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि वर्ष 2017-22 के दौरान किसी भी पंजीकृत श्रमिक ने वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा कार्यस्थलों पर दुर्घटना के कारण विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, निर्माण कर्मकारों की किसी भी

दुर्घटना की समय पर सूचना देने से संबंधित तंत्र संचालन में नहीं था। इसके परिणामस्वरूप राज्य में किसी भी पेंशन योजना में कोई भी पंजीकृत कर्मकार सम्मिलित नहीं था।

बोर्ड ने अवगत कराया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए कोई भी लाभार्थी पात्र नहीं पाया गया। हालांकि, उनका उत्तर संतोषजनक नहीं था, क्योंकि बोर्ड ने न तो पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और न ही पेंशन योजना के लिए योग्य कर्मकारों का चयन करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया।

5.3 योजनाओं के कार्यान्वयन में अन्य मुद्दे

5.3.1 भारत सरकार के आदेश के विरुद्ध घरेलू सामान प्रदान किया जाना

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्य कल्याण बोर्डों को निर्देश[7] दिया था कि वे सामग्री और घरेलू सामान वितरित न करें, बल्कि इसके स्थान पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, विकलांगता कवर, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था पेंशन जैसे कल्याणकारी उपाय प्रदान करें।

नमूना जाँच की गई 10 योजनाओं में, यह पाया गया कि छह योजनाओं के अन्तर्गत 44,460 (08 *प्रतिशत*) कर्मकारों को कल्याणकारी योजनाएँ जैसे विवाह सहायता, मृत्योपरांत सहायता, छात्रवृत्ति सहायता और मातृत्व लाभ, जबकि चार योजनाओं के अन्तर्गत 5,20,170 (92 *प्रतिशत*) कर्मकारों को घरेलू सामान उपलब्ध कराए गए। कर्मकारों/लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गई कल्याणकारी योजनाएँ एवं घरेलू सामान का योजना-वार विवरण **तालिका-5.4** में दिया गया है।

तालिका-5.4: कल्याणकारी योजनाएँ एवं घरेलू सामान का विवरण

क्र. सं.	कल्याणकारी योजनाएँ			घरेलू सामान		
	योजना का नाम	कर्मकारों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	योजना का नाम	कर्मकारों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)
1.	विवाह सहायता	15,338	6,710.31	कंबल सहायता	65,000	909.19
2.	मृत्योपरांत सहायता	1,847	4,795.37	टूलकिट सहायता	45,170	2,795.58
3.	छात्रवृत्ति सहायता	26,080	1,476.86	साइकिल योजना	85,000	3,032.59
4.	मातृत्व लाभ	1,195	118.28	राशन किट	3,25,000	4,243.97
5.	विकलांगता पेंशन	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-
6.	पेंशन (60+वर्ष)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-
कुल		**44,460**	**13,100.82**	**-**	**5,20,170**	**10,981.33**

स्रोत: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।

[7] दिनांक 25 मार्च 2021 के पी आई बी 1707562 के अनुसार।

जैसा उपर्युक्त तालिका दर्शाती है, किसी भी लाभार्थी को पुरानी पेंशन और विकलांगता पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया था जो अप्रत्याशित जोखिमों, हानियों और वित्तीय अनिश्चितताओं की स्थिति में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ हैं, जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड ने राज्य सरकार के अन्य सरकारी विभागों की योजनाओं के साथ उपरोक्त योजनाओं को एकीकृत करने पर विचार नहीं किया।

बोर्ड ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2023) कि वर्तमान में बोर्ड द्वारा वस्तुओं की अधिप्राप्ति और वितरण का कार्य बंद कर दिया गया है।

5.3.1.1 प्रतिबंध के बाद भी वस्तुओं का वितरण

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 25 मार्च, 2021 को जारी आदेश के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत उसको दी गई शक्तियों के तहत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को वस्तुओं के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

तालिका-5.5: वितरित सामग्रियों और किए गए व्यय का विवरण (2021-22)

योजना	लाभान्वित श्रमिक	व्यय[8] (₹ करोड़ में)
कम्बल	20,053	उपलब्ध नहीं
साईकिल	11,995	4.56
कुल	**32,048**	**4.56**

स्रोत: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।

नमूना जाँच की गई योजनाओं में यह पाया गया कि वर्ष 2021-22 में उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए 32,048 वस्तुओं का वितरण किया गया था जैसा **तालिका-5.5** में दर्शाया गया है।

बोर्ड ने अवगत कराया (नवम्बर 2023) कि वर्तमान में बोर्ड द्वारा वस्तुओं की खरीद और वितरण बंद कर दिया गया है।

5.3.2 डी बी टी ढाँचे का उपयोग किए बिना ₹ 240.82 करोड़ का योजना लाभ प्रदान किया जाना

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों को प्रभावित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को डी बी टी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक परामर्शिका जारी की गई थी (मार्च 2020)। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने निर्देश

[8] बोर्ड द्वारा कंबल योजना पर वर्षवार व्यय उपलब्ध नहीं कराया गया था।

दिया कि डी बी टी में न केवल नकद लाभों का प्रत्यक्ष अंतरण शामिल है, बल्कि वस्तुओं के रूप में लाभ अंतरण भी शामिल है। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं में लाभ वितरण के लिए बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया भारत सरकार के डी बी टी भुगतान की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी। डी बी टी ढाँचे को न अपनाने के नुकसान को **तालिका-5.6** में दर्शाया गया है।

तालिका-5.6: डी बी टी ढाँचे को न अपनाने के नुकसान

क्र.सं.	डी बी टी के लाभ	बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के नुकसान
1.	डी बी टी ढाँचे में सत्यापन प्रक्रिया के कारण लक्षित लाभार्थी को लाभ पहुंचाने का आश्वासन।	लाभार्थी को दिए गए प्रत्येक लाभ के लिए सक्षम प्राधिकारी को बैंक से पुष्टि करनी होगी।
2.	लाभों का त्वरित वितरण।	भुगतान के लिए लाभार्थियों की सूची बैंक को भेजने के कारण भुगतान में देरी।
3.	लाभ अंतरण में कम से कम स्तर शामिल हैं।	लाभ अंतरण में कई स्तर शामिल हैं।
4.	दोहरेपन पर अंकुश।	मैनुअल प्रक्रिया के कारण दोहरेपन का पता नहीं लगाया जा सकता है।
5.	आधार सक्षम पीओएस उपकरणों का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से वस्तुएं वितरित की जा सकती है।	ऐसी कोई प्रक्रिया मौजूद नहीं है।

इस प्रकार, बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया डी बी टी ढाँचे की भावना के अनुरूप नहीं थी। परिणामस्वरूप, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने वर्ष 2017-18 और वर्ष 2021-22 के बीच ₹ 240.82 करोड़ का लाभ प्रदान किया और अब भी डी बी टी का उपयोग करने के स्थान पर चेक के माध्यम से लाभ प्रदान कर रहा था।

बोर्ड ने अवगत कराया (नवम्बर 2023) कि एच डी एफ सी बैंक के सहयोग से डी बी टी ढांचा विकसित किया जा रहा है।

5.3.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध लाभ

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 19 मार्च 2018 के निर्णय के प्रस्तर 29 के अनुसार "जब तक कोई निर्माण कर्मकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत नहीं होता है और किसी पंजीकृत निर्माण कार्य अधिष्ठान द्वारा नियोजित नहीं होता है, तब तक वह निर्माण कर्मकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अंतर्गत मिलने वाले किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा जो निर्माण कर्मकार को लाभ पहुंचा सकता है"।

पंजीकृत निर्माण कार्य अधिष्ठानों के विश्लेषण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के मध्य मात्र 101 निर्माण कार्य अधिष्ठान पंजीकृत किए गए थे तथा इन पंजीकृत निर्माण कार्य अधिष्ठानों में 4,073 कर्मकार तैनात किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने उपर्युक्त 4,073 कर्मकारों की पंजीकरण स्थिति के बारे में सूचना नहीं दी थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 और वर्ष 2021-22 के बीच 10 चयनित योजनाओं के अन्तर्गत 5,47,274[9] लाभार्थियों को ₹ 215 करोड़ का लाभ प्रदान किया गया। ये 5,47,274 लाभार्थी[10] लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं थे क्योंकि वे पंजीकृत निर्माण कार्य अधिष्ठानों द्वारा नियोजित नहीं थे।

बोर्ड ने अवगत कराया (नवम्बर 2023) कि भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।

5.4 निष्कर्ष

योजनाओं का क्रियान्वयन दोषपूर्ण था, जिसमें अपेक्षित अनुमोदन के बिना अधिक भुगतान, लाभ प्रदान करने में देरी, पात्रता सुनिश्चित किए बिना लाभ प्रदान करना, वस्तुओं की अनियमित खरीद और वितरण, भारत सरकार के निर्देशों के विरुद्ध लाभ प्रदान करना और वृद्धावस्था पेंशन और विकलांगता पेंशन योजना का संचालन न करना जैसी अनियमितताएँ शामिल थीं। डी बी टी ढाँचे का उपयोग किए बिना ₹ 240.82 करोड़ का योजना लाभ प्रदान किया गया।

5.5 अनुशंसाएँ

कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार किया जा सकता है:

1. ***बोर्ड को अपेक्षित अनुमोदन और डी बी टी का उपयोग करते हुए मौजूदा आदेशों के अनुसार लाभ प्रदान करना चाहिए;***
2. ***सरकार को स्वास्थ्य और जीवन बीमा की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पंजीकृत श्रमिकों का उचित कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए। अन्य विभागों की योजनाओं के साथ एकीकृत करने की संभावना तलाशी जा सकती है;***
3. ***बोर्ड को सूचना, शिक्षा और संचार (आई ई सी) गतिविधियों के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के बीच कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।***

---

[9] कुछ लाभार्थियों को कई योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया।

[10] इन लाभार्थियों का पंजीकरण स्व-घोषणा के आधार पर किया जा रहा था तथा किसी भी आवेदन में पंजीकृत अधिष्ठान में काम करने का ब्योरा नहीं दिया गया था।

अध्याय-6

शासन एवं प्रबंधन सम्बन्धी प्रकरण

अध्याय-6

शासन एवं प्रबंधन सम्बन्धी प्रकरण

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार योजनाओं के कार्यान्वयन से पहले, बोर्ड अनुमानित आय और व्यय का मसौदा तैयार करेगा तथा अनुमोदन के लिए सरकार के समक्ष अपना बजट प्रस्तुत करेगा। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम और इससे जुड़े विनियमों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा पर्याप्त कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा में अनेक कमियाँ सामने आईं जिनमें अनधिकृत व्यय, वित्तीय लेखापरीक्षाओं की कमी, अपर्याप्त लेखांकन पद्धतियाँ और अपर्याप्त मानव संसाधन शामिल हैं।

6.1 उपकर की प्राप्ति एवं व्यय

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2017-22 के दौरान उपकर की प्राप्ति एवं व्यय तथा इसके निवेश का विवरण **तालिका-6.1** में दिया गया है।

तालिका-6.1: प्राप्ति एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	निवेश	व्यय	अंत शेष
2017-18	50.31	82.06	5.15	37.84	89.38
2018-19	89.38	127.20	23.18	90.96	102.44
2019-20	102.44	153.67	0.02	191.04	65.05
2020-21	65.05	225.66	20.07	196.92	73.72
2021-22	73.72	163.97	0.07	90.33	147.29
योग		**752.56**	**48.49**	**607.09**	

स्रोत: उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।

बोर्ड द्वारा इस सूचना का रख-रखाव एक्सेल शीट में किया गया था; तथापि, बैंक विवरण[1] और अन्य संबंधित दस्तावेजों के अभाव के कारण लेखापरीक्षा इसका सत्यापन/मिलान करने में असमर्थ थी।

[1] बोर्ड द्वारा प्रदान की गई एक्सेल शीट के अनुसार उपकर लेन-देन के लिए वर्ष 2017-22 के दौरान बोर्ड द्वारा कुल 15 से 28 बैंक खातों का रख-रखाव किया जा रहा था।

6.2 बजट, लेखा और लेखापरीक्षा

6.2.1 स्वीकृति के बिना बजट का व्यय

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, बोर्ड, वार्षिक बजट को अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने वर्ष 2017-18 और वर्ष 2021-22 के बीच राज्य सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्ति और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार और प्रस्तुत नहीं किया था। परिणामस्वरूप, बोर्ड ने सरकार की स्वीकृति के बिना वर्ष 2017-18 और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 607.09 करोड़ का व्यय किया। यह भी पाया गया कि प्राप्य उपकर का आकलन करने के लिए कोई तंत्र तैयार नहीं किया गया था। योजनाओं के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किए गए थे।

बोर्ड ने अवगत कराया (नवम्बर 2023) कि भविष्य में सरकार के अनुमोदन के पश्चात बजट का व्यय किया जाएगा।

6.2.2 लेखा-बही का अनुचित रख-रखाव

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 27 (1) के अनुसार, बोर्ड उचित लेखा और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रख-रखाव करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने परिसंपत्ति लेखा, निवेश लेखा, रोकड़ बही, चेक निर्गत पंजिका, मूल्यवान वस्तुओं की पंजिका, बैंक समाधान विवरण एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की तैयारी एवं रख-रखाव नहीं किया था। लेखा के उचित रख-रखाव के लिए ये अनिवार्य थे। लेखा के अनुचित रख-रखाव के कारण, सही एवं वास्तविक वित्तीय स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी।

बोर्ड के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि सभी प्रकार की प्राप्तियों को बिना वर्गीकरण के उपकर की प्राप्ति के अंतर्गत मिला दिया गया था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने वित्तीय विवरणों का मिलान नहीं किया था।

आगे, बोर्ड द्वारा उपकर निधि की प्राप्ति और व्यय के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (खाता संख्या 6902191017628) में खाते का रख-रखाव किया जा रहा था। जाँच में पाया गया कि बोर्ड द्वारा, वर्ष 2020-21 के लिए तैयार किये गये बैंक खाते की एक्सेल शीट के अनुसार, अंतिम शेष ₹ 1.24 करोड़ दिखाया गया, जबकि गणना के अनुसार

अंतिम शेष ₹ 9.34 करोड़ होना चाहिए था। इस प्रकार, ₹ 8.10 करोड़ की राशि लापता थी, जिसे खाते के अधिकृत बैंक स्टेटमेंट की अनुपलब्धता के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका।

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में सचिव, श्रम विभाग ने उत्तर दिया कि यह चिंता का विषय है और इसकी जाँच की जायेगी तथा किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता होने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रकरण की समीक्षा के उपरांत सचिव (जुलाई 2024) ने अभिलेख उपलब्ध कराये, जिसमें स्पष्ट किया गया कि मिलान न किये जाने और अभिलेखों के अनुचित रख-रखाव के कारण विसंगति उत्पन्न हुई। अभिलेख और अद्यतन की गई बैंक पासबुक के साथ, विसंगति का समाधान कर लिया गया है। यह तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि बोर्ड ने न तो अभिलेखों को ठीक से बनाकर रखा और न ही बैंक के साथ इसका मिलान किया।

6.2.3 वार्षिक लेखा

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, वार्षिक लेखा तैयार किया जाना चाहिए एवं समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समीक्षा के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि बोर्ड की स्थापना के बाद से कोई वार्षिक लेखा तैयार कर राज्य तथा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

बोर्ड ने अपने उत्तर (मई 2023) में तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया कि भविष्य में वार्षिक लेखा निर्धारित प्रारूप में बना कर रखा जाएगा।

6.2.4 लेखों की लेखापरीक्षा न कराया जाना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 27 (3) के अनुसार बोर्ड के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी। बोर्ड ने स्थापना (2005) के बाद से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को अपने लेखों को प्रस्तुत नहीं किया। अतः, बोर्ड के लेखों की लेखापरीक्षा नहीं की गई, जो अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन को दर्शाता है।

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) के दौरान सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने तथ्यों को स्वीकार किया और भविष्य में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

6.2.5 सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई

माननीय सर्वोच्च न्यायालय[2] के निर्देशों के बिंदु 75 के अनुसार, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारों और कल्याण बोर्डों के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित करना सार्थक और सुसंगत होगा। उत्तराखण्ड में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा के संबंध में बोर्ड द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था।

बोर्ड ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2023) कि सामाजिक लेखापरीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संचालित की जाएगी।

6.3 अनियमित व्यय

6.3.1 भौगोलिक सूचना प्रणाली[3] (जी आई एस) सर्वेक्षण पर ₹ 28.61 करोड़ का अनियमित व्यय

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह ज्ञात हुआ कि सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने भौगोलिक सूचना प्रणाली, सर्वेक्षण के माध्यम से वर्ष 2005 से वर्ष 2018 तक चार जनपदों[4] में उपकर के निर्धारण एवं संग्रहण की सुविधा के लिए 7 सितम्बर 2018 एवं 13 दिसम्बर 2019 को मैसर्स टी सी आई एल लिमिटेड के साथ ₹ 33.45 करोड़ की धनराशि के दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। उक्त कार्य के लिए मैसर्स टी सी आई एल लिमिटेड को ₹ 28.61 करोड़ का भुगतान किया गया था। समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:

i. उपकर का निर्धारण और संग्रहण भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित प्राधिकारियों[5] (जैसा तालिका-1.1 में दर्शाया गया है) द्वारा किया जाना था, न कि उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा। तदनुसार, मैसर्स टी सी आई एल को निर्धारण और संग्रहण कार्य सौंपना बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर था।

---

2 19 मार्च 2018 को 2006 के डब्ल्यू पी (सी) सं. 318 ।

3 भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक डाटा को प्राप्त करने, संग्रहित करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने के लिए कंप्यूटर आधारित उपकरण है।

4 हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर।

5 उपकर के संग्रहण और निर्धारण के लिए उपकर संग्राहक और निर्धारण प्राधिकारियों को उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित किया गया था।

ii. यह भी देखा गया कि उपर्युक्त कार्य पर सरकार के अनुमोदन के बिना ₹ 28.61 करोड़ का व्यय किया गया था। उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली 2005 के नियम 291 में प्रावधान है कि निधि को, सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम और नियमों में उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए व्यय नहीं किया जाएगा।

iii. **विकास प्राधिकरणों के अधीन सीमाओं का जी आई एस सर्वेक्षणः** कार्यक्षेत्र में विकास प्राधिकरणों की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र का जी आई एस सर्वेक्षण शामिल था। चूंकि विकास प्राधिकरणों के पास पहले से ही अपने क्षेत्र के अधीन निर्माण योजनाओं और निर्माण कार्यों का डाटा उपलब्ध था, इसलिए विकास प्राधिकरणों की सीमाओं के भीतर जी आई एस सर्वेक्षण का कार्य अनावश्यक था।

iv. **जी आई एस सर्वेक्षण में अनिवार्य डाटा प्राप्त न किया जानाः** समझौता ज्ञापन के अनुसार, मैसर्स टी सी आई एल लिमिटेड द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्माण की तिथि सहित सूचना उपलब्ध कराई जानी थी। तथापि, उपलब्ध कराए गए नमूना डाटाबेस के अनुसार, वर्ष 2005 और वर्ष 2018 के मध्य की अवधि के लिए उपकर के निर्धारण और संग्रहण के लिए निर्माण की तिथि दर्ज नहीं की गई थी। इस प्रकार निर्माण की तिथि के अभाव में निर्माण की उचित लागत की गणना करना संभव नहीं था क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समय के साथ परिवर्तित होता है।

बोर्ड ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2023) कि जी आई एस सर्वेक्षण के बाद, उपकर संग्रहण और निर्धारण अधिकारियों द्वारा संबंधित परियोजना/निर्माण कार्य अधिष्ठान और व्यक्तियों को चालान/नोटिस जारी किए गए थे। उपकर अधिनियम और नियमों के अनुसार वसूली जारी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त कार्य बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर था और सरकार के अनुमोदन के बिना किया गया था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा वसूली का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

6.3.2 पहचान पत्र पर व्यर्थ व्यय

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत कर्मकार को बोर्ड द्वारा एक पहचान पत्र प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें

उसकी फोटो विधिवत चिपकाई गई हो एवं उसके द्वारा किए गए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य का विवरण दर्ज करने के लिए पर्याप्त स्थान हो।

अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि पंजीकृत लाभार्थियों के पहचान पत्र अधूरे थे एवं उनके पूर्व निर्माण कार्यों का विवरण दर्ज नहीं था। पिछले निर्माण कार्यों का विवरण दर्ज किए बिना, लाभार्थी की पात्रता की न तो पुष्टि की जा सकती थी एवं न ही सत्यापन किया जा सकता था (जैसा कि प्रस्तर 2.2.1 के बिंदु (i) में चर्चा की गई थी)। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017-18 के दौरान, जारी किए गए पहचान पत्र प्लास्टिक कार्ड के प्रारूप में थे, जिसमे कार्य एवं योजना से संबंधित सूचना भरने हेतु कोई स्थान नहीं दिया गया था। परिणामस्वरूप, प्लास्टिक पहचान पत्र के क्रय पर किया गया ₹ 78.95 लाख का व्यय व्यर्थ था।

बोर्ड ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया (मई 2023) कि प्लास्टिक कार्ड नियमों के अनुसार नहीं था।

6.4 अधिनियम के उद्देश्य के विरुद्ध बनाए गए नियम

6.4.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के उद्देश्य के साथ नियमों की असंगति

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 12 (1) में कहा गया है कि प्रत्येक भवन कर्मकार जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और जो पिछले 12 महीनों के दौरान न्यूनतम 90 दिनों से किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में लगा हुआ है, इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 16 (1) में कहा गया है कि एक निर्माण कर्मकार जिसे लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया गया है, जब तक वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, प्रति माह ऐसी दर पर निधि में योगदान देगा, जैसा सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 17 में कहा गया है कि यदि किसी लाभार्थी ने 16 (1) के अन्तर्गत अपने योगदान का भुगतान कम से कम एक वर्ष तक की निरंतर अवधि के लिए नहीं किया है, तो वह लाभार्थी नहीं रहेगा।

तथापि, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बनाए गए नियमों (फरवरी 2015) के अनुसार, एक निर्माण कर्मकार को तीन वर्ष में एक बार अंशदान का भुगतान करना होता है; यदि कर्मकार तीन वर्ष की समाप्ति से पहले अंशदान का भुगतान नहीं करता है तो वह

लाभार्थी नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त, यदि वह ₹ 10 के विलम्ब शुल्क सहित अगले तीन वर्षों के लिए अपने अंशदान का भुगतान करता है तो उसके पंजीकरण का नवीकरण किया जा सकता है।

अधिनियम को मासिक अंशदान और सदस्यता की वार्षिक निगरानी के साथ तैयार किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मकार नियमित रूप से निर्माण कार्य में लगा हुआ है। हालांकि, इस सदस्यता को तीन वर्ष की अवधि के लिए बनाने से निगरानी का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। इसलिए, उक्त नियम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के साथ असंगत था।

इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

6.4.2 अधिनियम के साथ असंगत शासनादेश

उत्तराखण्ड शासनादेश (दिसम्बर 2016) के अनुसार, ₹ 10 लाख से अधिक की निर्माण लागत वाले आवासीय और गैर-आवासीय दोनों कार्यों के लिए उपकर का संग्रहण किया जाना था। हालांकि, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 2 (जे) के अनुसार, ₹ 10 लाख से कम के गैर-आवासीय कार्यों से भी उपकर का संग्रहण किया जाना था। इसलिए, उक्त शासनादेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के साथ असंगत था। परिणामस्वरूप, वर्ष 2018-22 के दौरान नमूना जाँच किए गए विकास प्राधिकरणों में उपकर के रूप में ₹ 6.49 लाख[6] का संग्रहण नहीं हुआ।

बोर्ड ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2023) कि उपर्युक्त शासनादेश की समीक्षा की जा रही है, अद्यतन आदेश को लेखापरीक्षा को अग्रेषित किया जाएगा।

6.5 मानवशक्ति के सीमित संसाधन

किसी भी परियोजना/योजना के सफल कार्यान्वयन एवं समग्र संगठन की दक्षता को अधिकतम करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन आवश्यक है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम एवं कल्याण उपकर अधिनियम को लागू करने के लिए, श्रम विभाग ने उप श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त और श्रम प्रवर्तन अधिकारी को नियुक्त किया था। इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों की स्थिति **तालिका-6.2** में सूचीबद्ध है।

---

[6] जिला विकास प्राधिकरण- ऊधम सिंह नगर के गैर-आवासीय 62 कार्यों (₹ 4.02 लाख) एवं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के 31 कार्यों (₹ 2.47 लाख) के आवृत्त क्षेत्र के अनुसार।

तालिका-6.2: राज्य के श्रम विभाग में भरे हुए पदों का विवरण

कल्याण योजना के प्रवर्तन के लिए श्रम विभाग में पदों का विवरण						
पद	**स्वीकृत पद**	**वर्ष 2017-18 कार्यरत कार्मिकों की संख्या**	**वर्ष 2018-19 कार्यरत कार्मिकों की संख्या**	**वर्ष 2019-20 कार्यरत कार्मिकों की संख्या**	**वर्ष 2020-21 कार्यरत कार्मिकों की संख्या**	**वर्ष 2021-22 कार्यरत कार्मिकों की संख्या**
उप श्रम आयुक्त/ सहायक श्रम आयुक्त	16	14	14	14	11	11
श्रम प्रवर्तन अधिकारी	**32**	**14**	**14**	**14**	**14**	**11**
कुल *(प्रतिशत)*	**48 *(100)***	**28 *(58)***	**28 *(58)***	**28 *(58)***	**25 *(52)***	**22 *(46)***

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, 42 से 54 *प्रतिशत* पद लगातार रिक्त थे, जिसने निर्माण कार्य अधिष्ठानों के पंजीकरण, निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण तथा योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित किया।

इसके अतिरिक्त, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पास राज्य में कल्याण योजना को कार्यान्वित करने के लिए पदों के स्तर एवं उनकी भर्ती के तरीके को दर्शाने हेतु कोई संगठनात्मक ढाँचा नहीं था। अग्रेत्तर, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पास वर्ष 2017-22 के दौरान असमान मानव संसाधन थे जैसा **तालिका-6.3** में दर्शाया गया है।

तालिका-6.3: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के असमान मानव संसाधन का ढाँचा

वर्ष	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में तैनात कार्मिक
2017-18	15
2018-19	21
2019-20	34
2020-21	40
2021-22	19

स्रोत: परिशिष्ट-6.1 में उल्लिखित विभागीय आँकड़े।

कम एवं असमान मानव संसाधनों ने उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कुशल कार्यप्रणाली को प्रभावित किया।

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में, सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने अवगत कराया कि बोर्ड के संगठनात्मक ढाँचे का कार्य प्रक्रियाधीन है। सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

ने आगे अवगत कराया कि उप श्रम आयुक्त/ सहायक श्रम आयुक्त एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद श्रम विभाग के कमीशंड पद हैं।

6.6 अप्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली

उत्तराखण्ड शासनादेश (फरवरी 2019) में सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए 36 दिनों[7] की समय सीमा निर्दिष्ट की गई थी। शिकायतों के निवारण के लिए मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पोर्टल बनाया गया था। नमूना जाँच में, की गई 10 शिकायतों में से किसी का भी निवारण नहीं किया गया था। शिकायतों को शिकायत की तिथि से 83 से 966 दिनों के बाद बिना समाधान किए ही बंद कर दिया गया था जैसा **तालिका-6.4** में दर्शाया गया है।

तालिका-6.4: यादृच्छिक (रैंडम) रूप से चुनी गई शिकायतों का विवरण

क्र. सं.	शिकायत				बंद करने की अवधि (दिनों में)	निवारण स्थिति
	संख्या	प्रकृति	प्राप्ति तिथि	बंद करने की तिथि		
1.	86511	वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई	14.07.2020	14.06.2022	700	निवारण नहीं किया गया
2.	85608		10.07.2020	01.10.2020	83	
3.	83314		04.07.2020	29.11.2020	148	
4.	83211		03.07.2020	26.12.2020	176	
5.	47045		29.12.2019	29.08.2020	244	
6.	44716		12.12.2019	25.06.2022	926	
7.	55785		22.02.2020	23.04.2022	791	
8.	97012		11.08.2020	30.06.2022	688	
9.	103706		05.09.2020	29.06.2022	662	
10.	39009		02.11.2019	25.06.2022	966	

स्रोत: उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर, बोर्ड ने अवगत कराया (मई 2023) कि कर्मचारियों की कमी के कारण विलम्ब हुआ। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शिकायत प्राप्त करने की तिथि से 83 से 966 दिनों के बाद भी किसी भी शिकायतकर्ता को उचित लाभ प्रदान नहीं कराया गया था। इस प्रकार, बोर्ड की निष्क्रियता से मुख्यमंत्री पोर्टल का उद्देश्य विफल हुआ।

6.7 गैर-कार्यात्मक समितियाँ

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली 2005 के नियम 253 के अनुसार, बोर्ड समान्यतः दो महीने में एक बैठक करेगा। इसी प्रकार, नियम 20(1) में यह प्रावधान है कि राज्य सलाहकार समिति छह महीने में कम से कम एक बैठक करेगी। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार,

[7] एल-1 से एल-4 तक निवारण के लिए कुल 36 दिन (15(L1)+7(L2) + 7(L3) + 7(L4)) हैं।

सलाहकार समिति, राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलों पर सलाह देगी जो इसे संदर्भित किए जा सकते हैं।

अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि दोनों गठित निकायों अर्थात बोर्ड और राज्य सलाहकार समिति ने नियमित बैठकें आयोजित नहीं की थी जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था।

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) में, सचिव, श्रम विभाग ने अवगत कराया कि बोर्ड, अधिनियम के अनुसार नियमित बैठक आयोजित करेगा।

6.8 अन्य प्रकरण

6.8.1 कर्मकार सुविधा केंद्र पर अनियमित व्यय

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने विभिन्न स्थानों पर कर्मकार सुविधा केंद्र खोलने के लिए मैसर्स आई टी आई लिमिटेड के साथ अनुबंध (अगस्त 2019) किया जिसमें हर कर्मकार सुविधा केंद्र की प्रतिमाह लागत ₹ 2,18,300 थी। यह कर्मकार सुविधा केंद्र नवीन पंजीकरण, कर्मकारों के पंजीकरण के नवीनीकरण, लाभार्थी आवेदनों की प्राप्ति एवं पोर्टल पर अपलोडिंग तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार के पहचान पत्रों की छपाई जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यरत थे। उन्नीस कर्मकार सुविधा केंद्र को चलाने के लिए अक्टूबर 2019 से जनवरी 2023 के दौरान मैसर्स आई टी आई लिमिटेड को ₹ 13.61 करोड़ का भुगतान किया गया।

समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ/वित्तीय अनियमितताएँ पाई गई:

i. मैसर्स आई टी आई लिमिटेड को मूल रूप से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं के लिए सूचीबद्ध किया गया था जिसमें उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भी मूल्यांकन एवं अनुमोदन प्राप्त करना था। हालाँकि, बोर्ड ने कर्मकार सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए आई टी आई लिमिटेड को नामित किया, जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य नहीं था। इस कार्रवाई ने उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम 35 का भी उल्लंघन किया, जिसमें कि ₹ 2.5 लाख से अधिक का क्रय ई-प्रोक्योरमेंट द्वारा www.uktenders.gov.in पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, ई-प्रोक्योरमेंट के बिना मैसर्स आई टी आई लिमिटेड को ₹ 13.61 करोड़ का भुगतान अनियमित था।

ii. बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 18 (2) (बी) के अंतर्गत 40 *प्रतिशत* की अनुमन्य सीमा के विपरीत मैसर्स आई टी आई लिमिटेड को 60 *प्रतिशत* अग्रिम की मंजूरी प्रदान की गई थी।

iii. मैसर्स आई टी आई लिमिटेड को कर्मकारों के पंजीकरण के मुख्य कार्य से मुक्त कर दिया गया था। तथापि, मैसर्स आई टी आई लिमिटेड को मूल भुगतान की शर्तों के अनुसार भुगतान किया गया जिसमें कर्मकारों के पंजीकरण का कार्य भी शामिल था। जिसके परिणामस्वरूप मैसर्स आई टी आई लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुँचाया गया था।

iv. सेवा की गुणवत्ता के आश्वासन के बिना भुगतान किया गया था क्योंकि बोर्ड ने कर्मकार सुविधा केंद्र पर दी गई सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी के लिए कोई तंत्र तैयार नहीं किया था।

v. उन्नीस में से 11 कर्मकार सुविधा केंद्र अनुबंध की तिथि से दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थापित नहीं किए गए थे, बल्कि उन्होंने 25 से 749 दिनों के विलम्ब से काम करना आरम्भ किया था। परिणामस्वरूप, 11 कर्मकार सुविधा केंद्र की गैर-परिचालन अवधि के लिए ₹ 91.68 लाख का भुगतान ठेकेदार को अनुचित लाभ था जिसका विवरण ***परिशिष्ट-6.2*** में दिया गया है।

vi. उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड सॉफ्टवेयर के रख-रखाव के लिए श्रम प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एल एम आई एस) नामक एक वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध को दिसम्बर 2015 से मैसर्स एम ए आर जी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के माध्यम से कराया जा रहा था, जिसे वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जाता था। इस अनुबंध की वैधता दिसम्बर 2019 में समाप्त हो रही थी। इस बीच, बोर्ड ने मैसर्स आई टी आई लिमिटेड के साथ एक नया अनुबंध[8] (22 अगस्त 2019) किया, जिसके माध्यम से एल एम आई एस के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध को मैसर्स आई टी आई लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया था जिसकी अवधि अक्टूबर 2019 से सितम्बर 2024 तक की थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने मैसर्स आई टी आई लिमिटेड के साथ एक नया अनुबंध करने के बावजूद, मैसर्स एम ए आर जी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को वार्षिक अनुरक्षण के सापेक्ष ₹ 3.95 लाख की राशि का भुगतान 04 मार्च 2020 को किया जिसकी अवधि दिसम्बर 2019 से

[8] अनुबंध की लागत के विनिर्देशन में डोमेन, वेब होस्टिंग, डेटा एंट्री के लिए सॉफ्टवेयर और पुराने अनुकूलित एल एम आई एस सॉफ्टवेयर का AMC एवं अन्य शुल्क सम्मिलित थे। यह अनुबंध पाँच वर्ष के लिए था, जिसकी अवधि अक्टूबर 2019 से सितम्बर 2024 तक थी।

दिसम्बर 2020 थी, जोकि एक ही काम के भुगतान की पुनरावृत्ति को दर्शाता है। बोर्ड की लापरवाही से ₹ 3.95 लाख का अतिरिक्त भार पड़ा।

बहिर्गमन गोष्ठी (अक्टूबर 2023) के दौरान, सचिव श्रम विभाग ने अवगत कराया कि यह चिंता का विषय है एवं इसकी जाँच की जाएगी एवं यदि अनियमितताएँ पाई गईं तो आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

6.9 अनिवार्य भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन

अनिवार्य भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का विवरण एवं इनके निर्वहन की स्थिति **तालिका-6.5** में नीचे दी गई है।

तालिका-6.5: अनिवार्य भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का विवरण

प्राधिकरण/ निकाय	अनिवार्य भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का विवरण	क्या निर्वहन किया गया?	लेखापरीक्षा टिप्पणी
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	कल्याणकारी उपायों का कार्यान्वयन	अंशतः	➢ अधिक भुगतान, पात्रता सुनिश्चित किए बिना लाभ, लाभ प्रदान करने में देरी और डी बी टी का उपयोग किए बिना लाभ, अनियमित खरीद और सामाजिक सुरक्षा कल्याण उपायों के बजाय वस्तुओं के वितरण के कारण योजना का कार्यान्वयन अपूर्ण था, जबकि पेंशन और विकलांगता योजना के अन्तर्गत कोई भी लाभान्वित नहीं हुआ था। ***(प्रस्तर- 5.2.1 से 5.2.8)***
	निधि का प्रशासन		➢ निधि का प्रशासन खराब था क्योंकि इसमें अनियमितताएँ जैसे कि अनुमोदन के बिना बजट का व्यय, लेखाओं का अनुचित रख-रखाव, खातों को प्रस्तुत न किया जाना और साथ ही इनकी लेखा परीक्षा न किया जाना शामिल थीं। ***(प्रस्तर- 6.2.1 से 6.2.4)***

प्राधिकरण/ निकाय	अनिवार्य भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का विवरण	क्या निर्वहन किया गया?	लेखापरीक्षा टिप्पणी
उप/सहायक श्रम आयुक्त, श्रम विभाग	स्थापना का पंजीकरण	नहीं	पंजीकरण प्राधिकारी अपने उत्तरदायित्व का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में विफल रहे क्योंकि जाँच किये गये 17,655 प्रतिष्ठानों में से केवल एक प्रतिष्ठान पंजीकृत पाया गया। ***(प्रस्तर- 2.1.1)***
श्रम आयुक्त उप/सहायक श्रम आयुक्त, श्रम विभाग	निरीक्षण प्राधिकारी	नहीं	नियंत्रण बहुत कमजोर था क्योंकि जनपद देहरादून में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था जबकि ऊधम सिंह नगर में केवल 16 निरीक्षण किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 19 कार्य स्थलों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान कार्य करने की परिस्थिति, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक खराब पाये गए। ***(प्रस्तर- 4.3 और 4.5)***
उप/सहायक श्रम आयुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण	अंशतः	लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा रहा है लेकिन इसमें अपात्र कर्मकारों को शामिल करने, पात्र कर्मकारों को शामिल न करने और प्रवासी कर्मकारों के पंजीकरण के लिए तंत्र के अभाव के प्रकरण शामिल हैं। ***(प्रस्तर- 2.2.1 से 2.2.3)***
सचिव, विकास प्राधिकरण	उपकर संग्राहक	अंशतः	उपकर संग्रहण प्राधिकारी के प्रयासों की कमी के कारण उपकर की वसूली नहीं हो पा रही है, उपकर का कम संग्रह हो रहा है, कल्याण बोर्ड को समय पर उपकर हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है और पुरानी दरों के

प्राधिकरण/ निकाय	अनिवार्य भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का विवरण	क्या निर्वहन किया गया?	लेखापरीक्षा टिप्पणी
			आधार पर उपकर संग्रह किया जा रहा है। ***(प्रस्तर- 3.1)***
अधिशासी अभियंता, कार्यदायी संस्था	उपकर कटौतीकर्ता	अंशतः	नमूना परीक्षित 20 में से एक प्रकरण में उपकर की ₹ 31.01 लाख की राशि नहीं काटी गई। ***(प्रस्तर- 3.1.4)***
उप/सहायक श्रम आयुक्त, श्रम विभाग सचिव, विकास प्राधिकरण	उपकर निर्धारण प्राधिकारी	नहीं	उपकर निर्धारण बहुत कम था क्योंकि जनपद देहरादून में केवल 16 उपकर निर्धारण किए गए थे जबकि ऊधम सिंह नगर में कोई निर्धारण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उपकर निर्धारण कम और गलत था और ₹ 6.96 करोड़ की वसूली अभी भी लंबित थी। ***(प्रस्तर- 3.4.1, 3.4.2 और 3.4.4)***

6.10 निष्कर्ष

बोर्ड, वार्षिक लेखापरीक्षा और सरकार को अपने लेखाओं की प्रस्तुति सुनिश्चित करने में विफल रहा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक बजट तैयार करने, अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय को रेखांकित करने और इसे सरकार को प्रस्तुत करने की बाध्यता के बावजूद, बोर्ड वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक पूरी अवधि के दौरान इस आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहा। श्रम विभाग के जनपद कार्यालयों तथा बोर्ड, दोनों में अपर्याप्त कर्मियों की संख्या के साथ-साथ बोर्ड स्तर पर अपर्याप्त निगरानी, कल्याणकारी योजनाओं के अप्रभावी निष्पादन के लिए उत्तरदायी थी।

6.11 अनुशंसाएँ

निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार किया जा सकता है:

1. ***उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को अपने वार्षिक लेखे समय पर प्रस्तुत करने चाहिए और उनकी लेखापरीक्षा करवाना सुनिश्चित करना चाहिए;***

2. *पंजीकृत श्रमिकों को बोर्ड द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों में कल्याणकारी उपायों के प्रभावी वितरण की सुविधा के लिए आधार से जुड़े बैंक खाते के साथ एकीकृत विशिष्ट पहचान संख्या होनी चाहिए;*
3. *सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जो अधिनियमों और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं;*
4. *सरकार को बोर्ड के वित्तीय विवरणों का उचित मिलान सुनिश्चित करना चाहिए और बैंक और बोर्ड के बीच लेन-देन का मिलान न होने के कारण वित्तीय अनियमितताओं के लिए ज़िम्मेदारी तय करनी चाहिए।*

देहरादून
दिनांक: 16 अक्टूबर 2024

(प्रवीन्द्र यादव)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 23 अक्टूबर 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1, पृष्ठ 3)

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

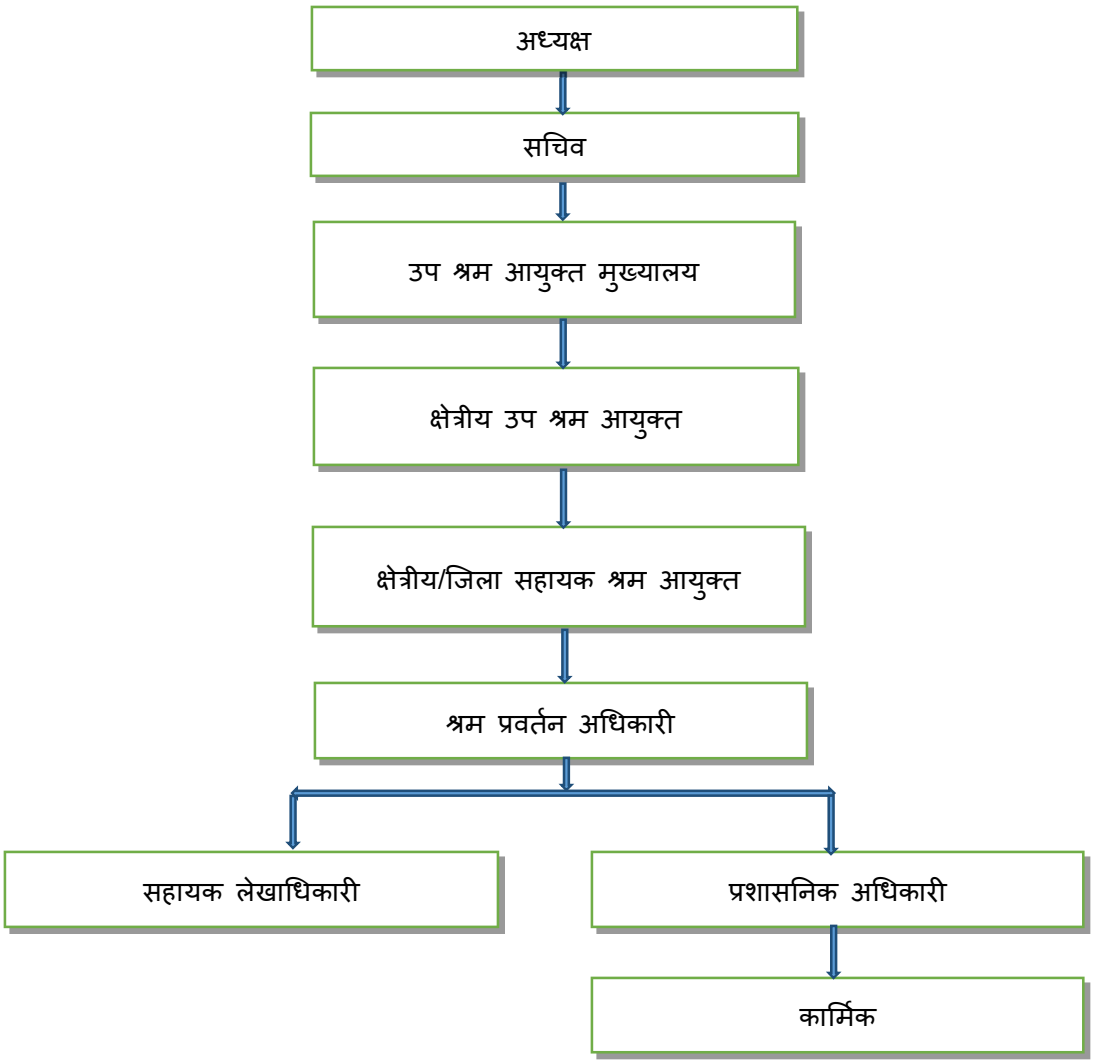

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: प्रस्तर 1.5, पृष्ठ 5)

अभिलेख जो इकाइयों द्वारा प्रस्तुत नही किए गए

क्र.सं	इकाई का नाम	अप्रस्तुत अभिलेख
1	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	1- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सभी बैंक खातों का विवरण। 2- सावधि जमा प्राप्तियों की प्रति 3- साइकिल, टूलकिट तथा राशन किटों की खरीद से संबंधित अभिलेख - (क) निविदा का प्रकाशन (ख) बोलीकर्ता के दस्तावेज़ (ग) बोलियों का मूल्यांकन (घम) तुलनात्मक विवरण 4- लाभार्थियों एवं अधिष्ठानों के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन फॉर्म का नमूना 5- जी आई एस सर्वेक्षण के आधार पर जारी किए गए चालानों की संख्या एवं वसूली का विवरण
2	पेयजल संसाधन एवं विकास निगम, रूद्रपुर	वर्षवार संग्रहित एवं बोर्ड को प्रेषित उपकर का समेकित अभिलेख
3	श्रम विभाग	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 48 के तहत नियोक्ता द्वारा कार्य आरम्भ किए जाने की सूचना के संबंध में जानकारी।

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.2, 2.2.3 एवं 4.5 क्रमशः, पृष्ठ 11, 12, 31)

लेखापरीक्षा द्वारा संचालित 19 अधिष्ठानों की संयुक्त निरीक्षण सूची

क्र. सं.	नमूना कार्यस्थलों का नाम	कार्यस्थलों पर कार्यरत निर्माण कर्मकारों की संख्या			कर्मकारों के पंजीकरण की स्थिति
		राज्य के बाहर के कर्मकारों की संख्या	राज्य के कर्मकारों की संख्या	कर्मकारों की कुल संख्या	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	डिग्री कॉलेज, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर में कॉमर्स ब्लॉक का निर्माण कार्य	08	04	12	00
2	ऑडिटोरियम हॉल, दिनेशपुर, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर	00	11	11	00
3	पुस्तकालय एवं डिजिटल पुस्तकालय भवन, थारू जीआईसी बिल्डिंग, खटीमा, ऊधम सिंह नगर	08	00	08	00
4	मानसिक रोगियों का पुनर्वास गृह, फूलसुंगा, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर	15	10	25	00
5	इंटरफेस माइक्रोसिस्टम, पंतनगर, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर	20	00	20	00
6	अर्चित पैनल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर	20	40	60	15
7	अस्पताल का कैंटीन ब्लॉक, बगवाड़ा, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर	06	05	11	00
8	वीनस एवेन्यू कॉम्प्लेक्स, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर	05	20	25	00
9	मुख्यमंत्री घोषणा (वनचेतना मैदान से रमेश चंद्रजी के मकान तक) ऊधम सिंह नगर	00	10	10	00
10	पचौरिया में कच्चे मार्ग का इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण, पचौरिया, ऊधम सिंह नगर	00	12	12	00

क्र. सं.	नमूना कार्यस्थलों का नाम	कार्यस्थलों पर कार्यरत निर्माण कर्मकारों की संख्या			कर्मकारों के पंजीकरण की स्थिति
		राज्य के बाहर के कर्मकारों की संख्या	राज्य के कर्मकारों की संख्या	कर्मकारों की कुल संख्या	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
11	सितारगंज में तहसील भवन का निर्माण, ऊधम सिंह नगर	00	08	08	00
12	कटपथर जूडो मोटर मार्ग का सड़क चौड़ीकरण, विकास नगर, देहरादून	40	15	55	15
13	वार्ड 89 और 90 में सड़क एवं जल निकासी का निर्माण, धर्मपुर विधान सभा, हरभजवाला, देहरादून	17	05	22	00
14	धुत्तू गंधकपानी मोटर रोड का निर्माण, अखंडवाली भिलंग, देहरादून	00	18	18	00
15	जोगीवाला-रायपुर-सहस्त्रधारा क्रॉसिंग रोड का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण, खैरी मान सिंह के पास, मयूर विहार सहस्त्रधारा रोड, देहरादून	50	00	50	00
16	240 मीटर विडालना ब्रिज का निर्माण, विडालना ब्रिज थानो भोगपुर के एम 3, ऋषिकेश, देहरादून	13	08	21	00
17	एथलेटिक पवेलियन भवन का उन्नयन, महाराणा प्रताप खेल महाविद्यालय, देहरादून, रायपुर, देहरादून	00	05	05	00
18	सड़क चौड़ीकरण एवं कार पार्किंग	00	12	12	08
19	200 बिस्तरों वाले छात्रावास का निर्माण एम.पी.एस.सी, रायपुर, देहरादून	13	02	15	00
	कुल	**215**	**185**	**400**	**38**

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.5, पृष्ठ 13)

देहरादून एवं ऊधम सिंह नगर में वर्ष 2017-22 के दौरान पंजीकृत कर्मकारों के डेटा का विश्लेषण

- **30,945 *(16.5 प्रतिशत)* लाभार्थियों की आधार संख्या दर्ज नहीं की गई थी।**
- **बैंक खाता संख्या दर्ज नहीं की गई थी।**

4034 (2.15 *प्रतिशत)* पंजीकृत कर्मकारों की बैंक खाता संख्या मौजूद नहीं थी एवं कुछ बैंक खाते एक से अधिक लाभार्थियों से जुड़े हुए थे। विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	जनपद	खाता संख्या	पंजीकृत कर्मकार संबद्ध
1	देहरादून	886000100289136	48
2		16042121017797	55
3	ऊधम सिंह नगर	5947220009	51

- **एक बैंक खाता संख्या दो भिन्न बैंकों में विद्यमान है**

एक बैंक खाता संख्या एक से अधिक बैंकों में विद्यमान है एवं एक से अधिक पंजीकृत कर्मकारों से संबद्ध है।

क्र. सं.	जनपद	खाता संख्या	एक बैंक खाता संख्या दो भिन्न बैंकों में विद्यमान है
1	देहरादून	3907000103165770	एस बी आई एवं पी एन बी
2		1168104000012870	आई डी बी आई एवं बी ओ बी
3		16032121001568	यूको एवं ओ बी सी
4		30586649056	यूनियन बैंक एवं एस बी आई
5	ऊधम सिंह नगर	17450100011728	बी ओ बी एवं एस बी आई

- **एक मोबाइल नंबर का कई बार पंजीकरण**

14,936 (7.95 *प्रतिशत)* पंजीकृत कर्मकारों के मोबाइल नंबर दर्ज नहीं थे, जबकि कुछ मोबाइल नंबरों के प्रति एक से ज्यादा कर्मकारों के नाम दर्ज पाए गए। विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	जनपद	दूरभाष संख्या	पंजीकृत कर्मकार संबद्ध
1	देहरादून	6395533053	57
2		8630662958	61
3		9756469291	110
4		9536807803	118
5		8630564246	116
6		9999999999	185
7	ऊधम सिंह नगर	9012796500	54
8		9865321478	64
9		7535007097	87
10		9690852124	77

- **आयु-मानदंड की अनदेखी**

पंजीकृत कर्मकार 60 वर्ष से अधिक आयु के पाए गए जबकि कुछ अब भी नाबालिक थे अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के थे। निम्नवत तालिका आयुवार अपात्र पंजीकृत कर्मकारों को दर्शाती है।

क्र. सं.	जनपद	वर्ष	60 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी	60 वर्ष की आयु से अधिक
1	देहरादून	2017-18 से 2021-22	1,262	2,233
2	ऊधम सिंह नगर		971	
	जनपद	**वर्ष**	**18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थी**	**18 वर्ष की आयु से कम**
1	देहरादून	2017-18 से 2021-22	7	12
2	ऊधम सिंह नगर		5	

- **कर्मकारों का दो बार पंजीकरण**

एक लाभार्थी दो बार पंजीकृत किया गया तथा उसके पास दो पंजीकरण संख्या थी। नमूना जाँच किए गए मामलों का उल्लेख निम्नलिखित है:

क्र. सं.	जनपद	नामांकन संख्या	कितनी बार पंजीकृत
1	देहरादून	05076090599569 05076090008313	2
2		05076090008316 05075990601074	2
3		05075990655486 05075990655489	2
4		05076190633399 05076190617239	2
5	ऊधम सिंह नगर	05031193126327 05031193173089	2
6		050311299318006 050311299320265	2
7		05031193132284 05031193174051	2
8		05031193137816 05031193174636	2
9		05031193128590 050311599319845	2
10		05032393147220 05031193147218	2
11		05031193131867 05032493176127	2

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.1.1, पृष्ठ 16)

शून्य आच्छादित क्षेत्रफल वाली स्वीकृत भवन योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	आवेदन संख्या	कुल आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कुल भूखंड क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	ग्राउंड कवरेज *(प्रतिशत)*	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को भुगतान किया गया श्रम उपकर (₹ में)
1	एम.ए.पी/पी/आर/1972/19-20	0	0	*72.03*	0
2	एम.ए.पी/पी/आर/2053/19-20	0	16.38	*54.15*	0
3	एम.ए.पी/पी/सी/1657/19-20	0	0	*58.55*	0
4	एम.ए.पी/पी/आर/2441/19-20	0	142.42	*69.6*	0
5	एम.ए.पी/पी/आर/2501/19-20	0	241.31	*47.59*	0
6	एम.ए.पी/पी/आर/2525/19-20	0	7.37	*53.38*	0
7	एम.ए.पी/पी/सी/1728/19-20	0	0	*63.51*	0
8	एम.ए.पी/पी/आर/3477/19-20	0	412.63	*38.29*	0
9	एम.ए.पी/पी/आर/3809/19-20	0	103.98	*64.55*	0
10	एम.ए.पी/पी/आर/3853/19-20	0	87.45	*67.26*	0
11	एम.ए.पी/पी/आर/1097/20-21	0	0	*65.01*	0
12	एम.ए.पी/पी/आर/1183/20-21	0	0.09	*74.15*	0
13	एम.ए.पी/पी/सी/0455/21-22	0	900.11	*44.56*	0
14	एम.ए.पी/पी/आर/5350/21-22	0	1,028	*44.62*	0
	योग	**0**	**2,939.74**		**0**

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.1.3, पृष्ठ 16)

नमूना जाँच किए गए अनुमोदित मानचित्रों की संवीक्षा का विवरण

(₹ लाख में)

आवेदन संख्या	एम ए पी/पी/सी/2000/19-20	एम ए पी/पी/आर/2039/16-17
डाटाबेस के अनुसार कुल आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	40,416.38	67,389.5
प्रयुक्त सूत्र के अनुसार उपकर	72.63	119.89
जमा किया गया उपकर	24.03	0
देय उपकर	48.60	119.89

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: प्रस्तर 3.1.5, पृष्ठ 17)

उत्तराखण्ड शासनादेश (दिसम्बर 2016) के अनुसार उपकर की गणना के लिए प्लिंथ क्षेत्रफल दर का विवरण

क्र. सं.	भवनों का प्रकार	भूखण्ड का प्रकार	समतुल्य प्लिंथ क्षेत्रफल	लोक निर्माण विभाग के समतुल्य श्रेणी	प्लिंथ क्षेत्रफल दर प्रति वर्ग मीटर (भार वहन संरचना)		प्लिंथ क्षेत्रफल दर प्रति वर्ग मीटर (आर सी सी फ्रेम संरचना)	
					पर्वतीय क्षेत्र में	मैदानी क्षेत्र में	पर्वतीय क्षेत्र में	मैदानी क्षेत्र में
क.	**आवासीय भवन**							
1	कमजोर आय वर्ग	50 वर्ग मी तक के भूखण्ड	42.95 वर्ग मी	श्रेणी-I	17,210	-	-	-
2	निम्न आय वर्ग	50 वर्ग मी से अधिक तथा 100 वर्ग मी तक	57.70 वर्ग मी से 79.00 वर्ग मी तक	श्रेणी-II	17,210	-	-	-
3	मध्य आय वर्ग	100 वर्ग मी से अधिक तथा 200 वर्ग मी से कम	125 वर्ग मी से 178 वर्ग मी तक	श्रेणी-IV	18,870	15,900	21,320	17,970
4	उच्च आय वर्ग	200 वर्ग मी से अधिक	225 वर्ग मी	श्रेणी-V	20,530	17,300	21,320	17,970
ख.	**गैर-आवासीय भवन**							
1	मध्यम गैर-आवासीय	200 वर्ग मी तक			19,440	15,380	21,110	17,790

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3.1, पृष्ठ 19)

सरकारी राजस्व में ₹ 1.49 करोड़ की व्यपवर्तित उपकर निधि का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	लोक निर्माण विभाग, अस्थायी खण्ड, ऋषिकेश, देहरादून		लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, देहरादून		लोक निर्माण विभाग, खटीमा, ऊधम सिंह नगर	
	संग्रहित उपकर	लेखाशीर्ष में प्रेषित	संग्रहित उपकर	लेखाशीर्ष में प्रेषित	संग्रहित उपकर	लेखाशीर्ष में प्रेषित
2017-18	एन ए	-	58.33	023000106000000	16.37	023000106000000
2018-19	17.74	023000106000000	56.95	023000106000000	एन ए	-
योग	**17.74**		**115.28**		**16.37**	
महायोग - ₹ 149.39 लाख						

एन ए = अनुपलब्ध।

परिशिष्ट-6.1

(संदर्भ: प्रस्तर 6.5, पृष्ठ 56)

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों का विवरण

पद का नाम	स्वीकृत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अध्यक्ष, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अनुसार	1	1	1	1	1
सचिव भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अनुसार	1	1	1	1	1
उप श्रम आयुक्त	कोई अनुमोदित मानव संसाधन संरचना नहीं थी	-	-	-	1	
सहायक श्रम आयुक्त	कोई अनुमोदित मानव संसाधन संरचना नहीं थी	-	-	1	1	
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कोई अनुमोदित मानव संसाधन संरचना नहीं थी	-	1	1		
प्रशासनिक अधिकारी	कोई अनुमोदित मानव संसाधन की संरचना नहीं थी	-	1	1		1
चिकित्सा अधिकारी	कोई अनुमोदित मानव संसाधन संरचना नहीं थी	-	-	1	1	
वरिष्ठ कार्यकारी	कोई अनुमोदित मानव संसाधन संरचना नहीं थी	-	-	1	1	
वरिष्ठ सहायक	कोई अनुमोदित मानव संसाधन संरचना नहीं थी	1	1	1	1	1
समन्वयकर्ता	कोई अनुमोदित मानव संसाधन संरचना नहीं थी	-	1	1	1	
लेखाकार (उपनल)	कोई अनुमोदित मानव संसाधन संरचना नहीं थी	-	-	-	-	1
डी ई ओ (उपनल /पी आर डी)	कोई अनुमोदित मानव संसाधन संरचना नहीं थी	10	10	17	26	6
चपरासी (पी आर डी)	कोई अनुमोदित मानव संसाधन संरचना नहीं थी	2	3	4	2	4
चालक (पी आर डी)	कोई अनुमोदित मानव संसाधन संरचना नहीं थी	-	2	4	4	4
कुल		**15**	**21**	**34**	**40**	**19**

परिशिष्ट-6.2

(संदर्भ: प्रस्तर 6.8.1 (v), पृष्ठ 59)

निर्धारित अवधि में स्थापित न किए गए कर्मकार सुविधा केंद्रों का विवरण

क्र. सं.	कर्मकार सुविधा केंद्र का स्थान	अनुबंध के अनुसार कर्मकार सुविधा केंद्र के संचालन की निर्धारित तिथि	कर्मकार सुविधा केंद्र के संचालन की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)	कर्मकार सुविधा केंद्र के संचालन से पूर्व भुगतान की गई धनराशि
1	ऊधम सिंह नगर (रुद्रपुर)	22 अक्टूबर 2019	19 नवम्बर 2019	28	2,03,747
2	ऊधम सिंह नगर (काशीपुर)	22 अक्टूबर 2019	09 नवम्बर 2021	749	54,50,226
3	नैनीताल (भीमताल)	22 अक्टूबर 2019	16 नवम्बर 2019	25	1,81,917
4	पौड़ी गढ़वाल (कोटद्वार)	22 अक्टूबर 2019	16 नवम्बर 2019	25	1,81,917
5	हरिद्वार	22 अक्टूबर 2019	28 दिसम्बर 2019	67	4,87,537
6	नैनीताल (हल्द्वानी)	22 अक्टूबर 2019	05 दिसम्बर 2019	44	3,20,173
7	नैनीताल (रामनगर)	22 अक्टूबर 2019	24 दिसम्बर 2019	63	4,58,430
8	देहरादून (अजबपुर)	22 अक्टूबर 2019	17 दिसम्बर 2019	56	4,07,494
9	देहरादून (ऋषिकेश)	22 अक्टूबर 2019	24 दिसम्बर 2019	63	4,58,430
10	हरिद्वार (रुड़की)	22 अक्टूबर 2019	23 दिसम्बर 2019	62	4,51,154
11	पौड़ी गढ़वाल (श्रीनगर)	22 अक्टूबर 2019	08 जनवरी 2020	78	5,67,580
कुल					**91,68,605**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/uttarakhand/hi